खण्ड-238, अंक-6
सोमवार, 22 माघ, शक संवत् 1884
(11 फरवरी, 1963 ई0)

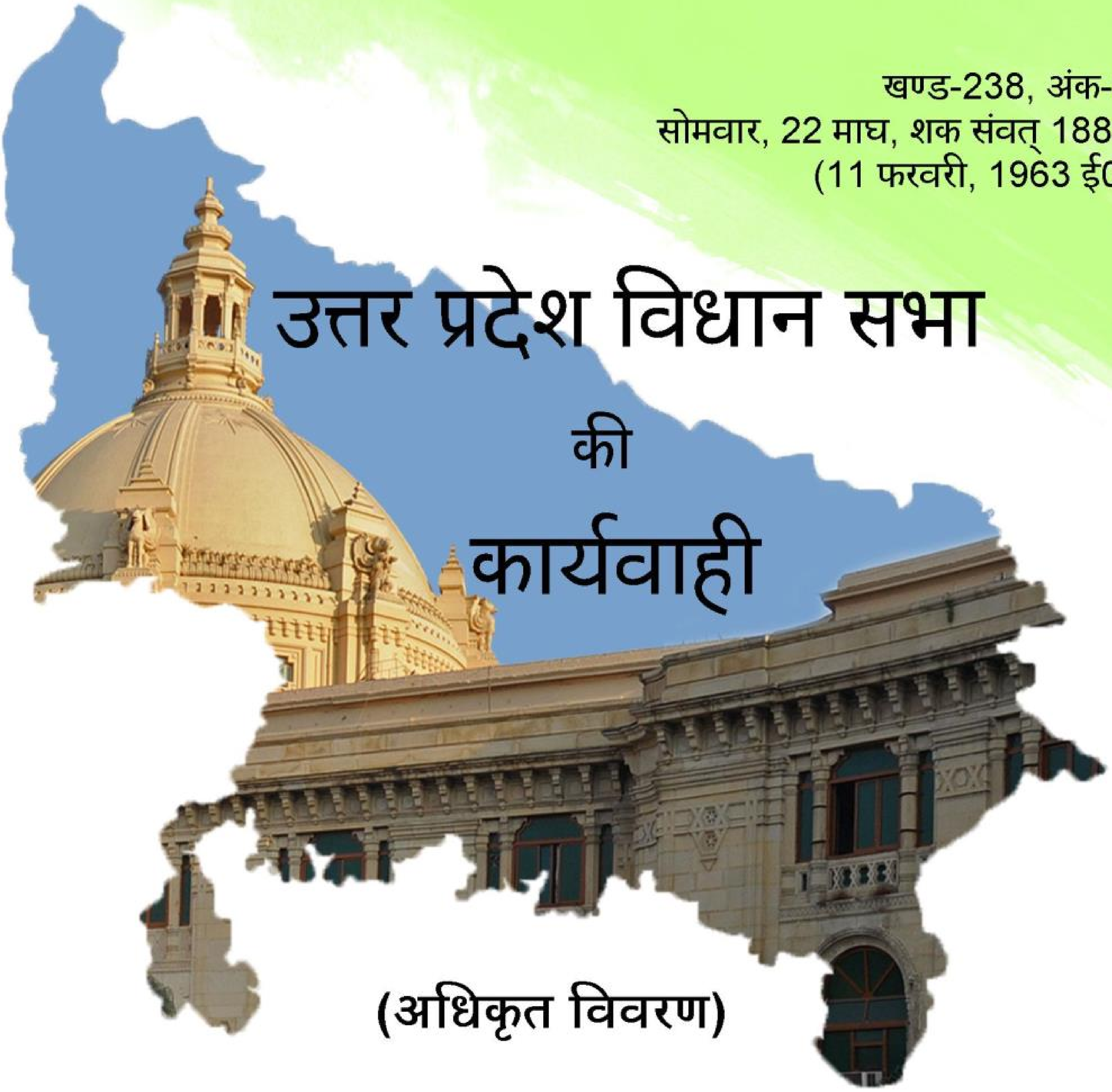

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४५१–४५४
प्रश्नोत्तर	४५४–४७३
सचिव द्वारा अध्यक्षासन पर पीठासीन व्यक्ति को कथित परामर्श देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	४७३–४७४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	४७४–४७५
३ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न १५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४७५
१ अक्तूबर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४७५–४७६
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	४७६–४८९
नार्दन इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचार स्थगित) ..	४८९–४९२
नत्थियां	४९३–४९९

अध्यक्ष पदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में १० १/२बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छोगुर श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाउदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री

बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमासिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव,' श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपलानी, श्रीमती
सुरजनराम बिशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उप-मन्त्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चेचक की रोक थाम

**१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर), श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़), श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में चेचक का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३ माह के अन्दर चेचक से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इस बीमारी की रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

चिकित्सा उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)---

जी हां, प्रदेश में नवम्बर, १९६२ से २६ जनवरी, १९६३ तक चेचक से १,७८५ मृत्यु की सूचना मिली है।

**२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री शारदानन्द, श्री नरसिंह-नारायण पांडेय, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सन्तसिंह यूसुफ तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या यह सही है कि बांदा जिले में लगभग तीन माह में ४,००० व्यक्ति चेचक से बीमार हुए और १,००० व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये क्या-क्या कदम उठाये थे ?

श्री धर्मसिंह---

जी नहीं, उक्त काल में बांदा जिले से केवल ८१ रोग-ग्रस्त तथा ४० मृत्यु की सूचना मिली है ।

केवल बांदा में ही नहीं परन्तु सारे ही रोग-ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारी की रोक-थाम के लिये सामूहिक रूप से टीके लगाये जा रहे हैं और वैक्सीनेटरों की संख्या बढ़ा दी गई है । बांदा में विशेष तौर से रोक-थाम का प्रबन्ध किया गया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

चूंकि जिन लोगों के टीके लगाये गये हैं, उनको भी चेचक निकल रही है, क्या सरकार ने इस बात की छान-बीन करवायी है कि टीके की दवाई सही है या नहीं ? अगर जांच नहीं करवायी है, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के उस वक्तव्य की ओर गया था, जो आज से एक वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि १९६३ में चेचक का बहुत बड़ा प्रकोप सारे देश में होगा और उस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अपने राज्य की जनता को चेचक से बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये यह सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

स्माल पाक्स इरैडिकेशन स्कीम १७ जिलों में इंटेंसिव चलायी गयी है। मामूली तौर पर चेचक का प्रकोप मार्च में होता है। जितने टीके लगते हैं, ४० परसेंट यहां हमने नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में लगाये । ७३ लाख टीके इस जमाने में लग चुके हैं ।

श्री रामायणराय---

जिन १७ जिलों में चेचक उन्मूलन के लिये इंटेंसिव कार्य किया जा रहा है, उनके अलावा जो बचे हुए जिले हैं उनमें चेचक से लोग न मरने पायें इसके लिये क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

सब जिलों में टीके लगाये जा रहे हैं। हर जिले में म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन में इसका इंतजाम है। हमने यहां से एक सर्कुलर जारी कर दिया है मेडिकल आफिसर्स आफ हेल्थ को कि वह वैक्सिनेटर ज्यादा मुकर्रर करें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को सर्कुलर जारी कर दिया है जहां लोग टीके नहीं लगवाते हैं, कम्पल्सरी टीके लगवाएं। पब्लिसिटी भी की जा रही है, खास कर रेडियो पर टाक दी जाती है, और पंचायतघर में भी टाक होती है । इसका टीका लगाने के अलावा और कोई इलाज तो है नहीं और टीके अक्सर लोग लगाते नहीं हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर गया है जिसमें १ करोड़ २० लाख रुपया चेचक उन्मूलन के लिये खर्च करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया

है, उसी की प्राप्ति के लिये सरकार ने कौन सी योजना पर काम किया है जिससे चेचक का उन्मूलन हो सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

१७ जिलों में काम शुरू कर दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,७८५ व्यक्तियों की इस रोग से मृत्यु हुई है तो उसमें कितने व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हुए हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

नवम्बर में १,२५७ व्यक्ति रोगग्रस्त हुए। उसमें से ३२५ मरे। दिसम्बर में २,५०८ रोग ग्रस्त हुए जिसमें से ८५६ मरे और २६ जनवरी तक १,८५७ लोगों को चेचक हुई, उसमें से ६०४ मरे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १,७८५ मौतें हुई यह किन-किन जिलों में हुईं ?

श्री धर्मसिंह--

उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में यह मौतें हुई हैं--आगरा डिस्ट्रिक्ट, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, बहराइच डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट, बांदा सिटी, बलिया डिस्ट्रिक्ट, बदायूं डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जालौन डिस्ट्रिक्ट, झांसी डिस्ट्रिक्ट, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर सिटी, लखनऊ सिटी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर जिले में भी चेचक का भीषण प्रकोप रहा लेकिन इसका क्या कारण है कि उन्होंने जो मुख्य-मुख्य स्थान गिनाये, उसमें गोरखपुर का नाम नहीं है ?

श्री धर्मसिंह--

गोरखपुर में उतनी चेचक नहीं होगी। यह तो उन जिलों की सूची है कि जिनमें पिछले दो हफ्तों में २० या २० से ज्यादा सीजर्स रहे ; जहां इसके नीचे है उनकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

यह कहा गया कि बांदा जिले में ४० लड़के मरे, जबकि सिर्फ एक गांव बीरा में इंस्पेक्टर और हेल्थ आफिसर और डाइरेक्टर सभी गये थे, वहां ५५ लड़के चेचक से मरे थे.....

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, आप भाषण न दीजिये। प्रश्न पूछिये।

श्री मतोलासिंह--

क्या यह सत्य है कि बीरा ग्राम में ५५ लड़के मरे ?

श्री धर्मसिंह--

मान्यवर, अलग से उस गांव की रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया, बहुत मुमकिन हो सकता है कि २६ जनवरी के बाद में वह वहां गये हों, हमारे पास जो रिपोर्ट है वह २६ जनवरी, सन् १९६३ तक की है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चेचक का प्रकोप उन्हीं जिलों में अधिक है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ?

श्री धर्मसिंह--

ऐसी बात नहीं है ; उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है।

श्री रामायणराय--

चेचक के इस बढ़ते हुए प्रकोप को देख कर क्या सरकार १७ जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी इस वर्ष इन्टेन्सिव कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाली है ?

श्री धर्मसिंह--

इस वर्ष का तो कोई प्रश्न नहीं है, अगले वर्ष हो सकेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उनके पास जो आंकड़े आये हैं उनमें कुल कितने व्यक्ति रोग से ग्रस्त हुए हैं, कितने की इससे मृत्यु हुई है और कितने लोगों को चेचक का टीका लगा है, इसकी कोई तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--

मान्यवर, कितने लोग रोगग्रस्त हुए हैं और कितने की मृत्यु हुई है, इसकी फिगर्स तो बता दी गई। जहां तक टीके लगाने का सवाल है, तमाम प्रदेश में जनवरी सन् १९६२ से दिसम्बर, सन् १९६२ तक ३२,१५,९५८ टीके लगे हैं। नवम्बर और दिसम्बर में १२,७०,८९० लगे हैं और २६ जनवरी सन् १९६३ तक ८,१३,७९० लगे हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों की सूची उन्होंने बतायी है उसमें सबसे अधिक मौत के जिले कौन-कौन से हैं ?

श्री धर्मसिंह--

टोटल तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन फिलहाल बांदा जिले में सबसे ज्यादा फैल रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रसीयन लीफ वैक्सीन जो इंजेक्ट की गई है उसके कारण ही बच्चों की मृत्युएं अधिक हुई हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऐसी तो कोई सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने वैक्सीनेटर बढ़ाये गये हैं और वह किन-किन क्षेत्रों में बढ़ाये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह--

इस समय कुल २०० वैक्सीनेटरों की पोस्ट मन्जूर की गई हैं। १०२ के लिये इत्तिला भेज दी गई है। इनको खासतौर से उन जिलों में पोस्ट किया जायगा जहां पर चेचक का अधिक प्रकोप है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या प्रदेशीय सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के उस आदेश की तरफ गया है कि जिसमें टीका लगाना अनिवार्य करार दिया गया है और उसे डिफेन्स रखा गया है डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के अन्दर और उसमें एक साल की सजा रखी गई है ?

श्री धर्मसिंह--

अभी तक ऐसा कोई आफिशियल आदेश प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत भेज दी गई है कि अपने जिले की स्थिति के अनुसार वह कार्यवाही करें।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चेचक की रोक-थाम के अलावा और उसके लिये क्या उपाय किया जा रहा है ? टीका लग गया और स्माल पाक्स हो गया तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिये क्या हो रहा है ? पब्लिक को एजुकेट करने के लिये क्या हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह--

जैसा स्वास्थ्य मन्त्री जी ने निवेदन किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत भेज दी गई है। वैक्सीनेटर की संख्या बढ़ा दी गई है। पब्लिक को एजुकेट किया जा रहा है। यह तमाम बातें की जा रही हैं।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि चेचक का टीका बड़े पैमाने पर नहीं लगता है? बनारस में देखा गया कि जो कार्यकर्ता टीका लगाने के लिये भेजे गये हैं वह मुश्किल से १५, २० परसेन्ट ही टीका लगा पाते हैं। वह गांव सभा का रजिस्टर हासिल कर लेते हैं और उसमें बाकी अपनी तरफ से फर्जी भर देते हैं क्योंकि उनको यह हिदायत है कि इतने परसेन्ट होना चाहिये। तो वह अपनी तरह से खानापूरी करते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऐसी कोई शिकायत नहीं है। आप ऐसा मैटीरियल दें तो उस पर कार्यवाही की जायगी और हिदायत जारी कर दी जायगी।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि रायबरेली के हेल्थ आफिसर चन्द वकीलों के यहां रजिस्टर भेजकर दस्तखत करा लेते हैं और टीका लगाने नहीं जाते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

अगर कोई डैफिनिट बातें बतलायेंगे तो हम इन्क्वायरी कर लेंगे।

श्री रामायणराय--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि टीका लगाने के अभियान के रास्ते में कुछ चिकित्सक, एक खास पद्धति के चिकित्सक लोग, इसमें बाधा उपस्थित करते हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऐसी कोई इत्तिला नहीं है। वह किस किस्म की बाधा है बतलायें तो मैं समझूं।

श्री रामायणराय--

इस देश में एक चिकित्सा की खास पद्धति है--होम्योपैथिक पद्धति--उसके चिकित्सकों का कहना है कि टीका लगाने से कोई लाभ नहीं होता, तो क्या इस तरह की सूचना सरकार को है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

सरकार कितने वैक्सीनेटरों को बढ़ाने का विचार कर रही है और कितनी दवाइयों में बढ़ोत्तरी करने का इंतजाम कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसमें तो हस्बजरूरत खर्च किया जा रहा है। २०० वैक्सीनेटर हमने सेंक्शन कर दिये हैं और हर पब्लिक हैल्थ अफसर से कह दिया है कि जरूरत के मुताबिक वैक्सीनेटर रख ले। लखनऊ कारपोरेशन को इस काम के लिये १०,००० रुपया सेंक्सन कर दिया गया है ताकि काम जल्दी हो। और जहां जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक हम इसमें खर्च करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान स्वास्थ्य विभाग के उस वक्तव्य की ओर गया है जो तमाम दैनिक पत्रों में छपा है और जिसमें कहा गया है कि १७ जिलों में ६३ लाख

व्यक्तियों को टीके अभी तक लग पाये हैं और उसके अनुसार २० परसेंट लोगों को टीका लग चुका है और अभी मंत्री जी विभागीय रिपोर्ट के अनुसार ४० परसेंट लोगों को टीका लग जाने की बात कह रहे हैं ? तो इन दोनों में सही बात क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

मैंने कहा था कि जितने टीके लगे हैं उनके ४० परसेंट हमने तीन महीने में लगा दिये हैं। ४० परसेंट पापुलेशन को हम टीके जरूर लगाना चाहते हैं लेकिन लोग भागते हैं और इसलिये वे लग नहीं पाते ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

इस बात को देखते हुए कि चेचक का प्रकोप नवम्बर, दिसम्बर में अधिक हुआ है प्रदेश में और विभाग केवल २० प्रतिशत लोगों को टीका लगा पाया है, मन्त्री जी किसी विशेष योजना पर विचार करेंगे ताकि चेचक का प्रकोप प्रदेश में अधिक न बढ़ सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जो बातें मैंने अर्ज की वह सब की जा रही हैं और ज्यादा तेजी से की जा रही हैं।

तारांकित प्रश्न

बरेली की कमारथी गली में सफाई न रहने की शिकायत

*१---श्री ऊदल---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गली कमारथी, बिहारीपुर, बरेली, में एक स्थान पर मैला डालने के डलाव को दूसरी जगह हटाने के लिये वहां के निवासियों तथा श्री किशोरीलाल शर्मा ने स्थानीय एम० ओ० एच० को कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---

जी हां। गली कमारथी, बिहारीपुर, बरेली में कोई डलाव नहीं है। एक मेहतरानी जो उस मुहल्ले के कुछ मकानों का मैला कमाती है, कुछ देर के लिये एक स्थान पर मैला की टोकरियां पास के डलाव पर ले जाने के पूर्व रखती है। उस मेहतरानी का कई बार चालान तथा जुर्माना भी हो चुका है।

*२---श्री ऊदल---

क्या इस सम्बन्ध में स्वायत्त, शासन मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री पूरनचन्द नायब तहसीलदार, बरेली, ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस डलाव को हटाने की सिफारिश की थी और उन्हीं की रिपोर्ट पर श्री वी० पी० सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, ने ६ मई, १९६२ को उक्त डलाव हटाने के आदेश जारी किये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय सिटी मजिस्ट्रेट ने क्रमश: २५ मई, २२ जून, १४ जुलाई, १९६१ को अध्यक्ष नगरपालिका को और क्रमश: ५ अगस्त, तथा २२ सितम्बर, १९६० को एम० ओ० एच० को इस डलाव को हटाने के लिये पत्र लिखे और जब उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तब श्री पूरनचन्द, नायब तहसीलदार से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट आने पर ६ मई, १९६१ को डलाव हटाने के लिये आदेश जारी किये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

गली कमारथी, बिहारीपुर, बरेली, में कोई डलाव का स्थान नगरपालिका ने निर्धारित नहीं किया है। अत: उसे हटाने का प्रश्न नहीं उठता है। जिस मेहतरानी ने अपनी ओर से एक स्थान पर मैला की टोकरी रखना शुरू किया था उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई।

*३—श्री ऊदल—

क्या यह सत्य है कि जिस स्थान पर यह डलाव है उस स्थान पर गली सिर्फ ६ फुट चौड़ी है जिससे रास्ता भी ब्लाक हो जाता है जबकि इस स्थान के थोड़ा पहले और बाद में यही गली १० फुट से १५ फुट तक चौड़ी है? यदि हां, तो क्या अब डलाव वहां से हटाया जायगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

चूंकि नगरपालिका का इस स्थान पर कोई डलाव नहीं है, अतः उसके हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी का ध्यान, श्री पूरनचन्द, नायब तहसीलदार, की रिपोर्ट जो इस सिलसिले में उन्होंने जांच कर के दी और परगना हाकिम की ६ मई, १९६२ की रिपोर्ट की तरफ गया है? यदि हां, तो उन्होंने उसमें क्या सिफारिश की थी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि वह मेहतरानी वहां पाखाने का टोकरा जरूर रखती है और वही रिपोर्ट उन्होंने भी की है। कानून वहां वह नहीं रख सकती, लेकिन क्योंकि वह रखती है इसलिये उसका चालान भी हो चुका है। वह कहती है कि मेरे से ले नहीं जाया जाता इसलिये बीच में थोड़ी देर के लिये रख देती हूं।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी का कहना है कि कोई डलाव वहां है नहीं, लेकिन मेरी जानकारी है कि डलाव वहां है और इसके लिये नायब तहसीलदार और परगना हाकिम ने रिपोर्ट दी थी कि वह वहां से हटवा दिया जाय, लेकिन अभी तक वह वहां से हट नहीं पाया है। तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य, जो मैंने निवेदन किया था उसको शायद समझ नहीं पाये। डलाव कानूनन वहां पर घोषित नहीं किया गया है, म्युनिसिपैलिटी द्वारा। वह मेहतरानी स्वयं वहां पर पाखाना रखती है, तो वह रोज डलाव बनता है और थोड़ी देर में वहां से हट जाता है। इसी कारण से डलाव का वहां पर जोर है। इस बात को म्युनिसिपैलिटी भी तस्लीम करती है, सरकारी अफसर भी करते हैं और हम भी इसे तसलीम करते हैं। लेकिन इसकी दवा सिर्फ यही है कि वह मेहतरानी मैले की टोकरी वहां पर न रखे। वह रखती है, उसके ऊपर जुर्माना होता है, उसका चालान होता है। अगर माननीय सदस्य कहें कि फांसी की सजा दी जाय, तो फिर दूसरी बात है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी का ध्यान जनता की तरफ से दिये गये पत्रक की तरफ गया है जिसमें जनता ने इस बात की मांग की है कि आजकल जो चेचक का प्रकोप बहुत जोरों से है, और इस बात को भी देखते हुये कि जहां पर मेहतरानी जबर्दस्ती मैला रखती है, तो उसको हटाने का कोई विशेष आदेश देंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, विशेष प्रबन्ध यही किया जा रहा है कि म्युनिसिपैलिटी से यह निवेदन किया गया है कि उसको हैंड कार्ट, जिससे वह ज्यादा मैला उसमें रखकर ले जा सके, दी जाय। इसके कारण उसको बार-बार आना-जाना नहीं पड़ेगा। इस बात की तरफ म्युनिसिपैलिटी का ध्यान आकर्षित किया गया है।

कमलानगर कालोनी, कानपुर के क्वार्टर्स

*४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार २४ सितम्बर, १९६२ की कार्यसूची की नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि अस्पताल, स्कूल तथा खेलकूद के मैदान बनाने की जो शर्तें थीं वे अब तक क्यों नहीं पूरी की गईं और शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाहीं की गई तथा की जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नगरमहापालिका ने जे० के० उद्योग संचालकों को स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान जैसी सुविधाओं के साथ वर्कमैन कालोनी बनाने के लिए भूमि दी थी। कालोनी में उपर्युक्त सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में समय समय पर महापालिका ने संचालकों को पत्र-लिखा है किन्तु इस दिशा में इन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है जिसका मुख्य नगर अधिकारी ने कोई खास कारण नहीं बताया है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार उस जमीन को लेकर किसी और काम के लिये देने की कृपा करेगी? लेबर डिपार्टमेंट के क्वार्टरों के लिये जरूरत है

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

इसमें कानूनी दिक्कत है कि यह जमीन उन्हें पट्टे पर नहीं दी गई थी। आउट-राइट सेल की गई थी। यद्यपि उसके साथ शर्त जरूर है लेकिन उसे हम वापिस नहीं ले सकते। उसे एक्वायर करने की सोचें तो उसकी कास्ट का सवाल उठेगा। यह कानूनी दिक्कत इसमें हो रही है।

श्री ऊदल —

यह जमीन कितने एकड़ है क्या यह पदमपत सिंहानिया को दी गई है और किस रेट पर ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

जे० के० काटन मिल को दी गई है। रेट के लिये नोटिस चाहिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ —

क्या सरकार वहां लेबर क्वार्टर बनवाने की सोचेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा —

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न विचार करने लायक है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

इस जमीन को देने के समय क्या-क्या शर्तें रखी गई थीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

शर्त तो यही थी कि खेल-कूद के मैदान बनेंगे। वकीलों की सलाह भी ली गई, उन्होंने कहा कि आपके हाथ कटे हुए हैं। आउट-राइट सेल होने के कारण गलती हो चुकी है और उसे अब दुरुस्त नहीं किया जा सकता।

श्री रामायणराय—

जब वह सेल की कन्डीशन को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वह सेल पूरी कैसे मानी जाती है ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने कहा कि कानूनी सलाह लेकर भी यह समझा गया कि उस पर और कुछ प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामरतन गुप्ता को यह जमीन एक्वायर करके सरकार ने दी थी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई; सरकार

ने सेंट्रल गवर्नमेन्ट को सिफारिश करके लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में तरमीम कराया, तो इस जमीन को लेने के लिये सरकार केन्द्रीय सरकार से फिर कोई तरमीम करावेगी या खुद तरमीम करेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें तरमीम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मंत्री जी कह चुके हैं कि यह प्रश्न विचार करने लायक है।

*५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[१८ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर में स्वदेशी काटन मिल के निकट गन्दा तालाब

*६—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में स्वदेशी मिल से निकलने वाला गन्दा पानी जिसने पास की बस्ती जूही में एक बड़ी झील का रूप धारण कर लिया है, क्या उसमें जलकुम्भी व बीमारियों के कीटाणु पैदा हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

स्वदेशी काटन मिल के निकट एक तालाब है जिसमें मिल का गन्दा पानी भी गिरता है। उक्त तालाब को पाटा जा रहा है और स्वदेशी काटन मिल्स को भी नोटिस दिया गया है कि वे मिल के गन्दे पानी को महापालिका की सीवर से शीघ्र मिला दें। मच्छरों की रोकथाम के लिये झील के किनारे मलेरियल आयलिंग करा दी जाती है।

*७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

सरकार इस सम्बन्ध में क्या महापालिका कानपुर को कोई आदेश देने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

नगरमहापालिका स्वयं इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। अत: सरकार को कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

श्रीमन्, यह मन्त्रीजी की बड़ी भारी भूल है। मैं उस इलाके में मन्त्री जी को दावत देता हूं। इस बारे में कई बार कारपोरेशन को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही न हीं हुई। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस झील को पटवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

मैंने जो उत्तर दिया, उसको माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैंने कहा कि महापालिका यह निर्णय ले चुकी है कि जब तक इसको भरा नहीं जायगा तब तक यह शिकायत दूर नहीं हो सकती।

गोंडा में बलरामपुर कोठी का क्रय

*८—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह द्वारा विधान सभा में पूछे गये दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में जो बताया गया है कि रेन्ट कंट्रोल आफिसर (गोंडा) ने उक्त भवन सामान्य निर्वाचन कार्य के लिये १० जनवरी, १९६२ से २७ मार्च, १९६२ तक के लिये प्रयोग किया, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कथित सामान्य निर्वाचन कार्य किस प्रकार का था तथा उस इमारत में कौन सरकारी कार्यालय या कौन गैरसरकारी व्यक्ति या गैरसरकारी संस्था रही ?

*९—यदि इमारत में कोई गैरसरकारी व्यक्ति या गैरसरकारी संस्था रही तो वह किस के आदेश से उसे रहने को दिया गया ?

खाद्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

चूंकि इन प्रश्नों का सम्बन्ध चुनाव आयोग के समक्ष विचाराधीन चुनाव याचिका संख्या ३३९/६२ से है, अत: इस मामले में कोई भी सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

श्री विजयसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि सरकार की ओर से यह उत्तर आया है कि प्रश्न ३३९/६२ के विचाराधीन है तो क्या सरकार इस चुनाव याचिका का फैसला हो जाने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेगी ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

श्रीमन्, यदि उसको फिर दोहराया जायगा तो दिया जायगा।

श्री विजयसिंह —

मान्यवर, केवल इसी के उत्तर की प्रतीक्षा है ?

श्री अधिष्ठाता—

इसके अलावा कोई प्रश्न कीजिये, इसका जवाब तो आ गया।

श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रश्न किन आधार पर चुनाव याचिका के सामने गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, चुनाव पेटीशन में यह चीज लिखी हुई है, इसलिये गया होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह —

श्रीमन्, कौन सा ऐसा आधार है जिसकी वजह से वह चुनाव याचिका में गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह चुनाव याचिका किस-किस के सम्बन्ध में है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, यह पार्लियामेंट के सम्बन्ध में है।

पब्लिक हायर सेकेन्ड्री स्कूल, विधूना सम्बन्धित भट्ठे को कोयला

*१०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित) —

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधूना, जिला इटावा, पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल को कितना कोयला स्कूल की ईंट पकाने के लिये सन् १९५७ से अप्रैल, सन् १९६२ तक दिया गया, उसमें कितनी ईंटें तैयार हुईं और कहां लगायी गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल, विधूना, को सन् १९५७ से अप्रैल सन् १९६२ तक कोई कोयला स्कूल की ईंट पकाने के लिये नहीं दिया गया।

इस स्कूल की आर्थिक उन्नति के लिये जो पब्लिक एजूकेशन सोसाइटी बनी उसके भट्ठे को जो कोयला उपर्युक्त समय में दिया गया उसकी तथा ईंटों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है :

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९३ पर)।

*११—श्री रामसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कोयला स्कूल को मिला उस कोयले से किस ठेकेदार द्वारा ईंट पकवाई गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जो कोयला उक्त सोसाइटी को मिला उस कोयले से श्री मुन्नीलाल त्रिपाठी ठेकेदार द्वारा ईंट पकवाई गई।

किरतपुर, टाउन एरिया को अनुदान

*१२--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में टाउन एरिया किरतपुर, जिला बिजनौर, को लाजमी तालीम के स्कूल खोलने के लिये और सड़कें बनवाने के लिये सरकार की ओर से कितना अनुदान दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

टाउन एरिया किरतपुर में लाजमी तालीम नहीं है। अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक सड़क बनवाने के लिये सरकारी अनुदान का प्रश्न है, २००० रुपयों तथा ७०० रुपयों के दो अनुदान वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में किरतपुर को दिये गये हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किरतपुर में टाउन एरिया है या नोटिफाइड एरिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

प्रश्न और उत्तर में "टाउन एरिया" लिखा हुआ है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मैं सूचना के लिये कह दूं कि इससे पहले सेशन में इन्होंने बतलाया था कि यकुम दिसम्बर से टाउन एरिया तोड़ कर नोटिफाइड एरिया कर दिया गया है, लेकिन टाउन एरिया अब भी मौजूद है, इसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

अभी चुनाव तो हुआ नहीं है। डी० एम० ने कुछ किया होगा। उस समय मैंने क्या उत्तर दिया था, वह मालूम नहीं है। सम्भव है गलती हो गयी हो।

श्री अधिष्ठाता --

आप देखकर चाहें तो संशोधन कर दें।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किरतपुर टाउन एरिया के चेयरमैन का कोई ऐसा पत्र मन्त्री जी को मिला है कि वहां कि आबादी देख कर लाजमी तालीम कर दी जाय ? यदि हां, क्या वह विचाराधीन है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

कानपुर जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

*१३--श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिला निर्माण परिषद् के कितने भट्ठे ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर हैं तथा सन् १९५७ से अब तक कितनों को कोयला प्रति वर्ष दिया जाता रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

कानपुर जिला निर्माण परिषद् के ५ भट्ठे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जिन स्थानों पर ये भट्ठे हैं तथा सन् १९५७ से अब तक इनको जितना कोयला प्रति वर्ष दिया गया उसकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९४ पर)

*१४—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की शिकायतें गत वर्ष सरकार के पास आयी हैं कि उन्हें निर्धारित दर पर ईंटें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कानपुर जिले के रसूलाबाद और झींझक क्षेत्र में कुछ लोगों ने कानपुर के जिलाधीश और नियोजन अधिकारी से शिकायत की थी कि उनको ईंटें निर्धारित कीमत से ज्यादा मूल्य पर मिलती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यहां पर तो कोई ऐसी शिकायत पहुंची नहीं है, मुमकिन है कि जिला स्तर पर गयी हों। जहां तक मालूम है, डेवलपमेंट के बारे में शिकायतें थीं।

श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या मंत्री महोदय यह सूचना मान कर कि रसूलाबाद और झींझक के भट्ठों से जो नियोजन के काम के सिलसिले में गांव सभापतियों को ईंटों की जरूरत पड़ती है और लेने जाते हैं तो प्रायः बल्कि निश्चित रूप से ब्लैक से ईंटें दी जाती हैं, इसके प्रमाण हैं और लोगों ने कानपुर जिलाधीश और नियोजन अधिकारी को शिकायतें की हैं, उचित आदेश इस सम्बन्ध में देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने जैसा कहा, नियोजन के सम्बन्ध में शिकायतें गयी थीं और जहां तक मेरा खयाल है, उस पर उन्होंने कार्यवाही की होगी और अगर नहीं की तो मैं कहूंगा कि वह जरा मुझे लिख कर दे दें तो ज्यादा अच्छी तरह से कार्यवाही हो जायगी।

बदायूं जिले के भट्ठे

*१५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को पता है कि २८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४–२५ के उत्तर में खाद्य मंत्री ने यह सूचना दी थी कि ग्राम नैनोल बागवाला (तहसील सहसवान, जिला बदायूं) में सर्वश्री चन्द्रपाल महेन्द्रपाल द्वारा चालित भट्ठे का लाइसेंस ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुआ तथा ६ अगस्त, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर में उक्त मंत्री ने यह सूचना दी थी कि उक्त भट्ठे की लाइसेंस ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गयी थी ? दोनों में कौन सी सूचना सही है तथा दोनों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

दोनों सूचना सही हैं। अन्तर का यह कारण है कि सूचनायें भिन्न-भिन्न भट्ठों के विषय में थीं।

जो सूचना प्रश्न २४–२५ के उत्तर में दी गई थी वह सर्वश्री चन्द्रपाल महेन्द्रपाल से सम्बन्धित थी तथा प्रश्न ११२ के उत्तर में दी गई सूचना सर्वश्री बृजपाल गिरेन्द्रपाल के विषय में थी।

*१६—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार को पता है कि उक्त भट्ठा १–४–६० से ३१–३–६१ तक भी चालू रहा ? इस अवधि के लिए उसे दी गयी लाइसेंस की प्रतिलिपि क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि कोई लाइसेंस नहीं दिया गया तो बिना लाइसेंस का भट्ठा क्यों चलने दिया गया ?

*१७—क्या सरकार को जानकारी है कि ६–८–६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर में उल्लिखित सरकारी आदेशों के उपरान्त भी उपर्युक्त भट्ठे के मालिकों ने भट्ठे पर कोयला अनधिकृत रूप से जमा किया है जब कि इस भट्ठे को केवल लकड़ी जलाने की इजाजत है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इन प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि यह प्रश्न किस भट्ठे के विषय में पूछे गये हैं।

गढ़वाल के लिये सीमेंट

*१८---श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)---

२० अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या ३ नत्थी (ग) के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बचा हुआ सीमेंट किसने बेंचा और कहां तथा किसके हाथ बेचा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बचा हुआ सीमेन्ट किसी के हाथ बेचा नहीं गया। इससे सम्बन्धित पिछले प्रश्न के उत्तर में जो सूचना उत्तर के साथ संलग्न तालिका में दी गई थी उससे स्पष्ट है कि बचा हुआ सीमेन्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काम में लाया गया। जो तालिका पिछले उत्तर के साथ नत्थी की गई थी उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९५ पर)

शक्कर तथा मिट्टी के तेल विक्रेताओं के लिये लाइसेंस

*१९---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन वस्तुओं पर वह व्यवसाइयों के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जिले में अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं ? यह आदेश कब दिया गया तथा क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

वर्तमान राष्ट्रीय संकटकाल में व्यवसाइयों के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु जिले में अधिकारियों को निम्नलिखित आदेश दिये जा चुके हैं :

(१) उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल (kerosene) नियंत्रण आज्ञा, १९६२ जो २७ दिसम्बर, १९६२ से लागू किया गया; तथा

(२) उत्तर प्रदेश शक्कर व्यापारियों को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६२ जो १ जनवरी, १९६३ से लागू किया गया।

उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, १९६२ के अन्तर्गत दो प्रकार के लाइसेंस दिये जा रहे हैं :---

(१) थोक व्यापारियों को जो तेल कम्पनियों के एजेन्ट हैं;

(२) फुटकर विक्रेताओं को जो अभी तक मिट्टी के तेल का फुटकर कारोबार करते थे। जहां अनुभवी फुटकर तेल विक्रेता न उपलब्ध हों वहां जिलाधीश को अधिकार है कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी को फुटकर मिट्टी का तेल विक्रेता का लाइसेंस दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश शक्कर व्यापारियों को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६२ के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को लाइसेंस दिया जा रहा है जो किसी एक समय में ५० क्वीन्टल शक्कर से अधिक परिमाण में क्रय-विक्रय या विक्रय के हेतु संग्रह करने का कारोबार करते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि शक्कर तथा मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं को जो लाइसेंस दिये जा रहे हैं, उसकी एवज में उनसे ७५-१०० रुपये तक जबरदस्ती एन० डी० एफ० चन्दे के रूप में लिये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जब मिट्टी के तेल पर कंट्रोल नहीं था, उस समय वह यहां सस्ते दाम पर बिक रहा था और अब वह ८ आने बोतल है तथा चीनी का भाव भी बढ़ रहा है, इसको देखते हुये क्या मंत्री महोदय तत्काल इस नियंत्रण को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नियंत्रण तो हम नहीं लगाना चाहते थे, मगर पिछले अधिवेशन में जब हमने प्राइस आर्डर कंट्रोल किया था उस वक्त सारे सदन ने यह जोर दिया कि इस पर नियंत्रण होना चाहिये। अब हम यह लाइसेंसिंग तो रखेंगे ताकि भविष्य में अगर समय आये तो हम सोते हुये न पाये जायं।

श्री कल्पनार्थसिंह--

जब यहां पर सदन में इस विषय पर चर्चा हुई तो क्या खाद्य मंत्री महोदय ने इस बात की कोई जांच की कि जिलापूर्ति अधिकारी लाइसेंस होल्डरों से एन० डी० एफ० में चन्दा ले रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने कहा कि उनको सूचना नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

उन्होंने कहा कि यहां चर्चा हुई, चर्चा में यह बात भी कही गयी। तो जब यहां उसकी चर्चा हुई तो क्या उसकी जाँच माननीय मंत्री जी ने करायी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी सदन में चर्चा हुई। इस पर कहां चर्चा हुई ? वह तो इस पर चर्चा हुई थी कि तेल के भाव बढ़ रहे हैं और उस पर कंट्रोल किया जाय। जितने भी सरकारी आदेश हुये उसमें सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि जो लोग स्वेच्छा से चन्दा दें उनसे लिया जाय। अब अगर कोई स्वेच्छा से चन्दा देता है तो उसको हम क्यों रोकें ?

श्री रामायणराय--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहां सदन में हल्ला हुआ कि मिट्टी के तेल के भाव बढ़ रहे हैं, और इसलिये उन्होंने लाइसेंस के आदेश दिये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस हल्ले से प्रभावित होकर उन्होंने यह आदेश दिये या उनको स्वयं भी उसकी कोई जानकारी थी ?

श्री अधिष्ठाता--

आप जो कहते हैं उसी से जानकारी हो जाती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की रिपोर्ट पेश करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने फुटकर विक्रेताओं ने लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और विभिन्न जिलों में कितनों को लाइसेंस दिये गये और जिनको नहीं दिये गये उसके क्या कारण थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। इसकी तो सूचना मंगाने में भी काफी खर्चा होगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

आप बाद को सूचना दे दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना देता हूं कि मथुरा जिले में एक एक लाइसेंस होल्डर से १००-१५० रुपये तक जबरदस्ती चन्दा लिया गया है। तो क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हां, अगर आप उसके कोई स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री रामायणराय--

इस नयी व्यवस्था के होते हुये भी उपभोक्ताओं को चीनी और तेल महंगा मिल रहा है। तो क्या मंत्री महोदय कोई नयी और व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जिससे यह सस्ते दामों पर मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस समय मिट्टी के तेल के लिये कहीं कोई कष्ट नहीं है। अभी तो खाली हम लाइसेंसिंग ही कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

देहाती अंचलों में बहुत से लोग एक या दो टिन मिट्टी का तेल लेकर उसको बेंचते हैं और अपनी रोजी चलाते हैं। ऐसे लोगों की दरख्वास्तों पर विचार नहीं हो रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश देंगे जिससे कि जो भी इसके लाइसेन्स के लिये दरख्वास्त दे और जो भी मिट्टी के तेल का रोजगार करता हो उसे लाइसेंस दे दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह आदेश पहले से मौजूद हैं कि जो भी मिट्टी के तेल का काम करता हो उसे लिबरली लाइसेंस दिये जायं।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मंत्री जी ऐसा आदेश देने का आश्वासन सदन को देंगे कि सभी एप्लीकेन्ट्स को लाइसेन्स दे दिये जावें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जो मैंने अभी कहा वह अखबारों द्वारा सब जगह पहुंच जावेगा, इसलिये आदेश देने में क्यों पैसा खर्च किया जाय ?

धान कूटने का लाइसेन्स

*२०--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आटा पीसने वाली चक्कियों को सरकार द्वारा धान कूटने का लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

आगरा सेन्ट्रल जेल से सप्लाई किये गये कम्बलों के संबंध में शिकायत

*२१--श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सेंट्रल जेल से पलटन व कैदियों के लिए जो कम्बल सप्लाई किये गये हैं उसमें सूत की मिलावट है जिसको ओढ़ने से ऊन अलग गिर जाता है और सूत ही सूत रह जाता है ?

कारागार मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

जी नहीं।

*२२--श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)--

क्या यह भी सही है कि ३ हजार कम्बलों को आदर्श कारागार, लखनऊ के अधीक्षक ने उपर्युक्त चार्जेज की बिना पर लेने से इनकार किया है और ऊन एक्सपर्ट की बिना जांच ऐसे कम्बल जेल व पलटन को सप्लाई हो रहे हैं जिसके लिए अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ने ऊन एक्सपर्ट की जांच करने के लिए लिखा है ?

नोट:--तारांकित प्रश्न २१-२३ श्री जगन्नाथ राव ने पूछे।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी नहीं।

*२३--श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि हाल में ३ लाख रुपये का ऊन कम्बल बनाने के लिए सरकार ने खरीदा है जिसके लिए कोई विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा नहीं कराया गया और पानीपत की एक फर्म से जो १९५० से सप्लाई कर रही है उसी से पिछले सालों में बिना टेन्डर नोटिस के बिना कम्पिटीशन कराये खरीदा है? यदि हां, तो क्यों और इसका कौन जिम्मेदार है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इस वर्ष जेल विभाग ने लगभग २ लाख रुपये का ऊन कम्बल बनाने के लिए स्टोर परचेज विभाग द्वारा खरीदा है। उक्त विभाग ने खरीदारी की मंजूरी विधिवत् कार्यवाही करने के बाद दी। यह सही नहीं है कि उन्होंने किसी फर्म का भाव बिना टेन्डर नोटिस जारी किए हुए स्वीकार कर लिया और यह भी सही नहीं है कि १९५० से एक ही फर्म से ऊन खरीदा जा रहा है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो दो लाख रुपये की ऊन खरीदी गयी वह किस भाव से खरीदी गयी, और किस कम्पनी से खरीदी गयी?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सन् १९५६ से जिन जिन फर्मों से ऊन खरीदा गया उनके नाम इस प्रकार हैं :--

१९५६-५७	(१)	सर्वश्री	नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत।
	(२)	,,	मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।
	(३)	,,	वुड वर्क्स, कानपुर।
१९५७-५८	(१)	,,	मामराज मल दिलीपसिंह, पानीपत।
	(२)	,,	नियादरमल प्यारेलाल, पानीपत।
१९५८-५९	(१)	,,	मामराजमल दिलीपसिंह, पानीपत।
१९५९-६०	(१)	,,	सीताराम गौरीशंकर, दिल्ली।
	(२)	,,	मामराज दिलीपसिंह, पानीपत।
१९६० से १९६३ तक		,,	मामराज दिलीपसिंह, पानीपत।

यह सब ऊन स्टोर परचेज विभाग द्वारा ही खरीदा गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९५० से ५६ तक किस फर्म से ऊन खरीदा गया?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सन् १९५६ से ६३ तक की सूचना मेरे पास थी, वह मैंने बता दी। १९५० से ५६ तक भी जो ऊन खरीदा गया था वह भी स्टोर परचेज विभाग द्वारा ही खरीदा था, उसके भी टेंडर काल किये गये। जो भी ऊन खरीदा जाता है उसके लिये टेंडर काल किये जाते हैं गजट में उसका प्रकाशन होता है, फिर टैक्सटाइल ऐक्सपर्ट्स की राय से खरीदा जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल में सूचना माननीय सदस्य चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जगन्नाथ राव--

मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९५० से किस कम्पनी से ऊन खरीदा गया है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सन् १९५० के सम्बन्ध में मेरे पास डिटेल में सूचना नहीं है लेकिन मेरे पास यह सूचना है कि सन् १९५० में और उसके बाद भी ऊन स्टोर परचेज विभाग द्वारा ही खरीदा गया। डाइरेक्ट विभाग ने कोई ऊन नहीं खरीदा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस सवाल को, श्रीमन्, पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

मंत्री जी कृपया इसकी सूचना दे दें कि सन् १९५० से १९५६ तक किससे खरीदा गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि इसकी सूचना फिर बाद में आपको मिल जायगी अगर आप चाहेंगे।

श्री रामायणराय--

कहा गया है कि वहां के अधीक्षक ने उपर्युक्त चार्जेज के आधार पर ऊनी कम्बल लेने से नहीं इन्कार किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी अन्य आरोप पर अधीक्षक ने इन ऊनी कम्बलों को लेने से इनकार किया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

लेने से इनकार नहीं किया किन्तु यह शिकायत की थी कि कम्बल का जो ऊन है वह कुछ झड़ता है। उसके सम्बन्ध में उनको बतला दिया गया कि हाथ से काते हुए ऊन तथा हाथ से बुने हुए कम्बलों के ऊन का झड़ना स्वाभाविक है जब तक कि मशीन के द्वारा उसकी मिलिंग व वाशिंग न हो। इस बात को उन्होंने मान लिया और कम्बल ले लिया।

श्री रामायणराय--

अधीक्षक ने जो शिकायत की थी उसकी कोई जांच करायी गयी या केवल पत्र उनको दे दिया गया कि चर्खे से काते हुए या हाथ से बुने हुए कम्बल का ऊन झड़ता ही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि कम्बल का ऊन झड़ता है। उनको बतला दिया गया कि जब तक मशीन से इसकी मिलिंग व वाशिंग नहीं होगी तब तक ऊन के झड़ने की शिकायत स्वाभाविक रहेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

फिर उसकी कोई जांच होगी या नहीं ? या इस उत्तर पर ही सन्तोष कर लिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका उत्तर तो दे चुके हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक द्वारा ऊन झड़ने की रिपोर्ट मिलने पर, उस शिकायत को दूर करने के लिये क्या उपाय किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इसी के बारे में सूचना दी गई कि हाथ से कते हुए ऊन का बना हुआ कम्बल जो होगा, उसमें से ऊन झड़ने की शिकायत का होना स्वाभाविक है, जब तक कि मशीन द्वारा उसकी मिलिंग व वाशिंग न होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

फिर ऐसा सामान क्यों लिया गया जब कि अधीक्षक ने इस तरह की शिकायत की और उस शिकायत को दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी ने या सरकार ने क्या किया ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि खादी का जो कम्बल होता है उसमें इस तरह की शिकायत का होना स्वाभाविक है।

*२४-२५--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री हिम्मतसिंह--

[२५ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

*२६--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

[२५ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

फारेस्ट रेंज अधिकारी, तालबेहट के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासन की कार्यवाही अब तक की गयी है और क्या दण्ड दिया गया है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--

सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:--

(१) श्री हरनामसिंह, निकासी मुंशी को भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गई तथा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

(२) श्री चन्द्रशेखर ठूठं मुहर्रिर, को नौकरी से अलग कर दिया गया।

(३) श्री अहिबरनसिंह राठौर, रेंज आफिसर, को भविष्य के लिए चेतावनी दे दी गई तथा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

*२८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें क्षेत्रीय विधायक ने २० मई, १९५९ को एक पत्र द्वारा मुख्य मंत्री से की थीं और उनमें सी० आई० डी० से जांच कराने की प्रार्थना की थी ? उक्त पत्र की प्रतिलिपि माननीय वन मंत्री जी, मुख्य अरण्यपाल व जिलाधीश झांसी को भी दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच कब सी० आई० डी० को दी गयी ?

श्री अलगूराय शास्त्री--

जी हां। माननीय सदस्य की २० मई, १९५९ की शिकायत, जो उन्होंने मुख्य मंत्री जी तथा भूतपूर्व वन मंत्री को भेजी थी, प्राप्त हुई थी। यह शिकायत अगस्त, १९६० में सी० आई० डी० को दी गई थी।

*२९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या ४५ के क्रम में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री हिम्मतसिंह को चांटा मारने के संबंधी ८ मई, १९५९ की शिकायत की जांच डी० एस० पी० (कम्पलेन्ट) ने भी की थी ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

जी हां। उनकी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि श्री हरनामसिंह ने श्री चन्द्रशेखर की मदद से श्री हिम्मतसिंह को थप्पड़ मारा तथा २५ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगा। श्री हिम्मतसिंह ने रिश्वत नहीं दी और तब पेशबन्दी करने के लिये, उपरोक्त कर्मचारियों ने अपनी जेब से २५ रुपये प्रतिकर रूप में जमा कर दिया और यह रुपया श्री हिम्मतसिंह द्वारा दिया हुआ प्रतिकर बताया गया। श्री अहिबरनसिंह राठौर, रेंज आफिसर, तालबेहट द्वारा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, एम० एल० ए० के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जो रिपोर्ट पुलिस में की गई वह बढ़ाकर की गई व गलत पाई गई।

जिला संख्या अधिकारी

*३०—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में ऐसे कितने जिला संख्या अधिकारी हैं जिनको एक ही जिले में काम करते हुए तीन साल या तीन साल से अधिक हो गये हैं और वे किन-किन जिलों में काम कर रहे हैं ?

वन मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

राज्य में ऐसे तीन जिला संख्या अधिकारी हैं जिनको एक ही जिले में काम करते हुए तीन साल या तीन साल से अधिक हो गया है। वे शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद तथा मथुरा में काम कर रहे हैं।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन तीन संख्या अधिकारियों में से कौन से एक ही जिले में ३ साल से अधिक से काम कर रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सोहनलाल श्रीवास्तव शहजहांपुर में १२-१०-५९ से, रमेश शंकर १३-१०-५९ से और पी० डी० चैटर्जी मथुरा में २६ दिसम्बर, सन् १९५९ से काम कर रहे हैं।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि इनकी प्रतिभा का दूसरे जिले भी फायदा उठा सकें ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

जनता को फायदा पहुंचाने के लिये ही यह किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज के निकट फार्म से आय

१—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संपूर्णानन्द कैम्प, सितारगंज, जिला बरेली, के अधीन जंगल की लकड़ी (डेढ़ हजार एकड़ की) इस वर्ष सन् १९६२ में बेची गयी है ? यदि हां, तो कितने रुपये में और क्या उसको विधिवत नीलाम किया गया है ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—

सन् १९६२ में संपूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, जिला नैनीताल, में केवल २,५८५ कत्थे के पेड़ों को ६७,९०० रुपये में बेचा गया। इनको विधिवत नीलाम तो नहीं किया गया, परन्तु टेन्डर आमंत्रित कर बेचा गया।

२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कैम्प के पास कोई अपना फार्म है ? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल, स्थापित होने का समय और लाभ हानि का ब्यौरा, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—

जी हां, इसका क्षेत्रफल ५,७३० एकड़ है जिसमें से ३,००० एकड़ भूमि पर खेती हो रही है। यह फार्म फरवरी, १९६० में स्थापित किया गया था। फरवरी, १९६० से मई, १९६२ तक की अवधि का फार्म से प्राप्त लाभ हानि का ब्यौरा संलग्न है जिसकी जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ—४९६–४९७–पर)

सचिव द्वारा अध्यक्षासन पर पीठासीन व्यक्ति को कथित परामर्श देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस वैधानिक प्रश्न को उपस्थित करने के लिये आपने मुझे इजाजत दी। मेरा ऐसा विचार है कि यह केवल इस विधान सभा का प्रश्न नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान की जितनी विधान सभायें हैं और पार्लियामेन्ट है उसका प्रश्न है। यह एक बड़ा ही मौलिक और गम्भीर प्रश्न है। मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह उसके ऊपर विचार करे। जो मैंने प्रश्न उपस्थित किया है वह यह है कि क्या 'क्लार्क आफ दि हाउस' जिसको हमारे यहां सचिव कहते हैं, जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो सदन की कार्यवाही के चलते हुए वह अध्यक्ष को किसी प्रकार की राय दे सकता है, किसी प्रोसीज्योर के बारे में अध्यक्ष को कोई डाइरेक्शन दे सकता है जो कि सदन के समक्ष हो? यह एक मौलिक प्रश्न मैंने उपस्थित किया है। मेरा कहना है कि हाउस आफ कामन्स में क्लार्क आफ दि हाउस सदन के प्रोसीज्योर को निर्धारित करता है जब मैं हाउस आफ कामन्स की बात करता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप में कह दें, आप का इस पर भाषण नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं हाउस आफ कामन्स की जब बात करता हूं तो इसलिये कि जहां पर हमारी प्रक्रिया नियमावली शांत है वहां पर विधान की धारा १९४ (३) के मुताबिक हाउस आफ कामंस के जो पावर्स व प्रिविलेजेज होते हैं वह हमारे भी हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि वहां पर जो क्लार्क है वह सदन का प्रोसीजर निर्धारित करता है, कार्यक्रम तैयार करता है। अगर आप अपनी प्रक्रिया नियमावली के चैप्टर ६ में देखें, जो मेरे पास अंग्रेजी की है उसके पृष्ठ १३ पर देखें तो उसमें पायेंगे कि सचिव का काम सदन का बिजनेस तैयार करना है, उसकी लिस्ट तैयार करना है। कई बार इस सदन में यह चर्चा हुई कि यहां पर सचिव महोदय बार बार इस कुर्सी पर विराजमान होकर चेयर को सुझाव और डायरेक्शन्स देते हैं। यह सदन का अपमान है क्योंकि हाउस आफ कामन्स में भी सचिव या क्लार्क आफ दि हाउस जो होता है उसकी जगह रजिस्ट्रार की जगह होती है, केवल उनका काम प्रोसीजर तैयार करना है। तो मैं आज इसकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह चेयर और सदन का अपमान नहीं है? हमारे यहां लोक सभा में सचिव कौल चेयर के इस तरह पास नहीं बैठते, बल्कि उनकी कुर्सी नीचे रहती है। यह चेयर का डेरोगेशन है। जब तक यहां भी इस आसन पर माननीय पुरुषोत्तमदास जी टंडन विराजमान थे, मुझे सब लोगों ने बताया कि ऐसी परम्परा कायम की गई थी और दूसरी अन्य विधान सभाओं में भी यह परम्परा कायम की जा रही है। यहां पर पहले यह प्रश्न उपस्थित किया जा चुका है, माननीय राज नारायण जी ने भी इस विषय को उठाया था और कई बार जब हम देखते हैं कि चेयर को, जिसकी मर्यादा है उनको डायरेक्ट किया जाता है और प्रोसीजर के बारे में उनको ज्ञान कराया जाता है। मेरी राय में यह डेरोगेशन आफ दि चेयर है और कन्टेम्ट आफ दि हाउस है। इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पान्डेय जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके विषय में मुझे सदन को यह बताना है कि यह सदन अपने कन्वेन्शन्स और परम्परायें बनाने के लिये पूर्ण अधिकार सम्पन्न है। इस सदन की जहां तक मुझे जानकारी है सन् १९३७ से, जिस समय कि माननीय पुरुषोत्तमदास जी टंडन इस स्थान को सुशोभित करते थे, यह परम्परा रही है कि यहाँ के सचिव इस सदन में, इसी आसन पर बैठते थे जहां पर कि वह आज बैठे हैं। इस आपत्ति को मैं उचित समझता हूं कि गाइडेंस देने का कोई अधिकार चेयर को न है, न हो सकता है और न होता है, लेकिन यह सचिव का कर्त्तव्य है, दायित्व है, कि वह चेयर को आवश्यकता पड़ने पर वांछित सहायता दे, यह उसका मुख्य कर्त्तव्य है और इसीलिये उसका यहां बैठना कदाचित वांछनीय हो सकता है। फिर भी, मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह मामला माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जायगा और वह इस पर विचार करके, जैसा आवश्यक समझेंगे वैसा आचरण करेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मेरे पास जो नियम ५२ के ६ प्रस्ताव आये हैं, उनमें से ५ को तो मैंने अस्वीकार कर दिया है इस कारण से कि वे या तो निश्चित नहीं थे या उनमें कई घटनाओं को एक साथ लिखा गया था या वे तात्कालिक महत्व के नहीं थे। केवल एक श्री मेवा लाल जायसवाल द्वारा प्रस्तुत जो सूचना है जिसमें उन्होंने पश्चिमी सोरांव तहसील जिला इलाहाबाद में फसल रबी जो बोयी गई है उसमें नहर के पानी के बन्द हो जाने से बड़ी आपत्ति का होना बताया है। यह प्रश्न दफा ५२ के लिये उचित महत्व का नहीं हो सकता। लेकिन इसको मैं सिंचाई मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी इस सदन में नियम ५२ या कामरोको प्रस्ताव या दूसरे प्रस्तावों के शक्ल में दिये जाते हैं और जिस पर आप व्यवस्था देते हैं वह व्यवस्था इस सदन की एक प्रापर्टी होती है, आगे के लिये वह गाइडेंस का काम करती है और एक उदाहरण होता है। तो किस संबंध में कौन सी व्यवस्था दी गई यह आवश्यक है कि इस सदन को उससे अवगत कराया जाय और इस संबंध में मैं चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था दें कि रोज-रोज जो प्रोसीजर चल रहा है कि कक्ष में आकर देख लें कि उस पर क्या लिखा गया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता की ओर से, वह ठीक है या इस सदन में उन प्रस्तावों को पढ़ना आवश्यक है जो सदस्यों द्वारा आपको दिये जाते हैं। कृपया आप इस संबंध में अपनी व्यवस्था दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, रूल्स आफ प्रोसीजर में है, यदि आप नियम ३०२ देखें तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि हाउस का सेक्रेटरी एक जनरल तैयार करेगा जिसमें विधान सभा के अध्यक्ष की जो व्यवस्थायें होंगी वे उसमें अंकित की जायेंगी। तो एक बड़ा मौलिक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब सदन में जहां पर प्रोसीडिंग लिखी जाती है जब आप कोई अपनी व्यवस्था किसी प्रश्न पर दे रहे हैं उसका आभास नहीं कराया जायगा तो रेकार्ड आफ प्रोसीडिंग्स क्या होगा और कैसे जनरल में व्यवस्था की जायगी? मैं समझता हूं इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों ने एक ही बात के दो अंग रखे। मुझे माननीय कल्पनाथ सिंह की आपत्ति के बारे में बताना है कि मैंने स्वयं आज ही संबंधित नियमों का अध्ययन किया। उन नियमों में कहीं कोई ऐसा नियम नहीं मिला जिससे यह अनिवार्य हो या वांछनीय बताया गया हो कि जो

प्रस्ताव अस्वीकृत किये जायं उनके कारण पढ़ कर सुनाये जायं। फिर भी मैं बताता हूं यदि वह इस दिशा में संतुष्ट करा सकें या कोई ऐसी प्रक्रिया या नियमों की ओर ध्यान दिला सकें तो इस बात पर विचार हो सकेगा।

माननीय नरसिंहनारायण पाण्डेय जी ने दूसरी बात की तरफ इशारा किया। उसके लिये केवल मुझे यह कहना है नियम ३०२ में लिखा है "सचिव सभा की कार्यवाही का एक वृत्त-पत्र, जिसमें सभा के प्रत्येक दिन के विनिश्चयों का संक्षिप्त अभिलेख लिखा जायेगा, रखेगा।" इसमें केवल जो यहां विनिश्चय होंगे उनका रेकार्ड रखने का प्रश्न है। जिन प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखने की अनुमति नहीं प्राप्त हुई, उनका संक्षिप्त विवरण रखना इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता। फिर भी वह बात दोनों से संबंधित है। अगर कोई उदाहरण या कंवेंशन आप दिखा सकें तो उस पर पुनः विचार होगा।

३ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न १५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अधिष्ठाता---

अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री शोधन वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---

श्रीमन् दिनांक ३ दिसम्बर, १९६२ को श्री टम्ब्रेश्वरी प्रसाद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५ के संबंध में श्री टम्ब्रेश्वरी प्रसाद ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि जिनका बाकी नहीं है वे किस ग्रेड के कर्मचारी हैं ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि उनका नाम तो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे खयाल वही होंगे जो पेमेंट करते होंगे। उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है---

वह नगरपालिका का एक सफाई हवलदार है, जिसका वेतन क्रम ३०-१-३५ रु० है। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९८ पर)

१ अक्तूबर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ को श्री कन्हैयालाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के संबंध में श्री कन्हैयालाल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि कितनी खरीद सरकारी गोदामों से और कितनी प्राइवेट से हुई।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि सरकारी गोदामों से ३ मई, १९६२को १,००७.६० रुपये का गल्ला खरीदा गया। असिस्टेंट जेलर, श्री के० के० गुप्ता की देख-रेख में लिया गया। २९ मई, १९६२ को २,२२४.९० रुपये का ४ जून, १९६२ को ४,११०.४१ रुपये का, १३ जून, १९६२ को ५१५.७४ रुपये का, ३ जुलाई, १९६२ को २,५०३.३४ रुपये का, २४ जुलाई, १९६२ को १,६०७.६० रुपये का ८, अगस्त, १९६२ को २,२२४.९० रुपये का, २७ अगस्त, १९६२ को २,००९.५० रुपये का और २९ सितम्बर, १९६२ को १,९७७.७९ रुपये का गल्ला खरीदा गया।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है:---

सरकारी गोदामों से ३ मई, १९६२ को १,६०७ रुपये ६० नये पैसे का गल्ला खरीदा गया। असिस्टेंट जेलर, श्री के० के० गुप्ता की देख-रेख में किया गया। २९ मई, १९६२ को २,२२४ रुपये ९० नए पैसे का, ४ जून, १९६२ को ४,११० रुपये ४१ नए पैसे का, १३ जून, १९६२ को ५१५ रुपये ७४ नये पैसे का, ३ जुलाई, १९६२ को २,५०३ रुपये ३४ नए पैसे

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

का, २४ जुलाई, १९६२ को १,६०७ रुपये ६० नए पैसे का, १० अगस्त, १९६२ को २,२२४ रुपए ९० नए पैसे का, २७ अगस्त, १९६२ को २,००९.५० रुपये का और १९ सितम्बर, १९६२ को १,९७७ रुपये ९८ नए पैसे का गल्ला खरीदा गया ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४९९ पर ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३*

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले साल हमने इस ऐक्ट को पास किया था और १ अक्तूबर से ५ फीसदी कर लगाया गया और चीनी लड़ाई शुरू होने के बाद वह टैक्स दिसम्बर से १० फीसदी कर दिया गया। इस टैक्स की वसूली और हिसाब-किताब रखने में जो दिक्कतें महसूस हुईं उन्हीं को रफा करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। उसमें से एक दिक्कत तो यह महसूस हुई कि कन्ट्रेक्ट गाड़ी जो लोगों को दी जाती है उसमें सवारियों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है और काफी तादाद में ऐसी गाड़ियां दी जाती हैं। उसमें यह तरमीम लायी गयी है कि इस तरह की गाड़ियों पर जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कम से कम ७५ फीसदी सवारियां मान कर टैक्स तजवीज कर दिया जाय।

कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो शादी विवाह और दूसरे कामों के सिलसिले में इंटर स्टेट चलती हैं। वे थोड़े दिनों के लिये होती हैं, इसलिये हिसाब किताब और बिल वगैरह का अरेंजमेंट करना मुश्किल होता है उनके लिये भी और हमारे लिये भी । तो इस तरमीम के जरिये से यह किया गया है कि उनको उससे मुस्तसना किया जाय ।

जब हमने टैक्स लगाया था तो हमारा कुछ आपरेटर्स के साथ एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन इसके दो महीने बाद ही टैक्स ५ फीसदी के बजाय १० फीसदी कर दिया गया और उसमें ऐसी गुन्जाइश नहीं है कि जो बीच में इजाफा हो गया है उस रकम को हम ले सकें। तो एक तरमीम इस मतलब से आयी है कि जो इजाफा हो गया है वह इस एग्रीमेंट के जरिये से हासिल कर सकें। इसके अलावा चैकिंग स्टाफ के बारे में यह दिक्कत आई कि कन्डक्टर्स वे बिल जो रखते हैं उसमें कुछ हेर फेर कर देते ह, टैक्स बचाने के लिये, उन कागजात को हम अपने कब्जे में नहीं ले सकते थे। इसके जरिये से इसका भी इन्तजाम किया गया है कि हम कागजात को ले सकें। इस तरह की कुछ और लफ्जी और मामूली तब्दीलियां इस संशोधन विधेयक के जरिये से लाई गई हैं और उम्मीद है कि सदन इसको मन्जूर करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि 'उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) संशोधन विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रपट सदन के सम्मुख उपस्थित कर दे और समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

अधिष्ठाता जी, यह बात सही है कि अभी पिछले अगस्त के महीने में यह विधेयक स्वीकृत हुआ था और उसके जरिये प्रत्येक यात्री पर ५ प्रतिशत कर बढ़ाने का अधिकार सरकार ने लिया था जिसको परिवहन मन्त्री जी ने स्वयं कबूल किया कि चीन के हमले के बाद दस प्रतिशत कर दिया। मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह

---

*५ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

से सरकार ने ५ प्रतिशत के बजाय दस प्रतिशत कर लागू कर दिया। मन्त्री जी को और सफाई करनी चाहिये थी कि अब तक सरकार को इसमें कितना लाभ हुआ है। अगर आप बता देते तो हाउस को जानकारी हो जाती कि कितना लाभ हो रहा है। जिस समय ५ प्रतिशत बढ़ा था तो मन्त्री जी ने कहा था कि ७५ लाख रुपये की आमदनी सरकार को होगी। लेकिन मेरा अन्दाजा था कि एक करोड़ से ज्यादा की आमदनी होगी सरकार को। मेरा अन्दाजा सही हुआ।

मैं श्रीमन् सारे प्रदेश की बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन आजमगढ़ के आने जाने का लोअर क्लास का किराया मुझे याद है कि मधुवन से आजमगढ़ एक रुपया साढ़े ग्यारह आने था, अब उसकी जगह २ रुपये २० नये पैसे हो गया है। आज सबेरे मैंने हिसाब लगाया कि टैक्स कितने प्रतिशत बढ़ा, तो मालूम हुआ कि ३५ प्रतिशत बढ़ा है। अभी बाबू गेंदासिंह जी से पूछा कि कैसे बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि मन्त्री जी से पूछिये। मेरे खयाल से तो यह जो किराया बढ़ाया गया है उसके लिये कोई निश्चित आदेश सरकार की ओर से नहीं गया, जो ए० जी० एम० या जी० एम० रहे मनमानी बढ़ाया, सरकार की ओर से कोई आदेश अब तक नहीं है। मैं जानता हूं कि किराया वसूल करने में कितनी दिक्कत है। माननीय मन्त्री जी ने अभी ठेके की गाड़ियों के सम्बन्ध में कहा। हाउस को यह याद होगा कि हमारी तरफ से कहा गया था कि आप जो छूट दे रहे हैं उससे मोटर मालिकों को फायदा होगा, लेकिन सरकार का यह तरीका होता है कि विपक्ष के लोग सही बात भी कहें तो उसको सुनकर परेशानी होती है कि कहीं मान लेने से नुकसान न हो जाय। इसलिये नुकसान उससे भले हो जाय, लेकिन प्रतिष्ठा की बात बनाकर न मानना ही उसके लिये श्रेयस्कर होता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह संशोधन विधेयक पंचवर्षीय योजना की कमी की पूर्ति के लिये लाया गया था और चीनी हमले की बात को लेकर के ५ प्रतिशत और बढ़ा दिया गया। मैं चीनी हमले के बारे में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि पहले जो १० प्रतिशत बढ़ाया गया था उस विधेयक को वापस अगर ले लिया जाय तो मेरा खयाल है कि इस प्रदेश का बहुत लाभ हो सकेगा। आप, श्रीमान्, एस्टीमेंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आप जानते हैं। इस रोडवेज विभाग की हालत यह है कि उसको देखकर परेशानी होती है। आप सेंट्रल वर्कशाप कानपुर को देखें। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सन् ५२ से २५ लाख रुपये का सामान पड़ा हुआ सड़ रहा है। उसको बेचने या अपने काम में लाने का कोई इन्तजाम नहीं है। तो फिर इस तरह से आमदनी करके आप करेंगे क्या?

श्रीमन्, आपको यह भी ताज्जुब होगा कि जब रोडवेज इनके हाथ में आया था तब पी० डब्लू० डी० के लोग मकानों को बनाया करते थे, लेकिन जबसे इनके हाथ में आया तो उसके लिये डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाये गये। मैं तो देहात का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं कि जो स्टेशन बनाये गये हैं उनकी इमारतें किस प्रकार से बनायी गयी हैं। एक दो स्टेशनों को हमने देखा है। पी० डब्लू डी० से तो शिकायत थी, लेकिन इनका विभाग उससे बहुत आगे बढ़ गया है। इसी साल इमारत बनी और इसी साल से टूटना शुरू हो गई। तो फिर यह लाखों रुपया लेकर आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर ठीक से किया जाय तो लाखों रुपये की बचत इस विभाग में हो सकती है। अगर आप संशोधन विधेयक को इस दृष्टि से देखकर परिवर्तित करेंगे तो प्रदेश की जनता का बहुत फायदा हो सकता है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि खंड ३ के स्पष्टीकरण २ में जो अब हो रहा है उसमें यह लिखा हुआ है कि ७५ प्रतिशत से गाड़ी के लिये देय किराया माना जायगा। बाबू गेंदासिंह जी कहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो परमिट दे रखा है उसके हिसाब से रुपया लेती है, लेकिन यहां अन्दाज से यानी ७५ प्रतिशत अधिकतम दरों से मानकर ले लेगी। पंजाब की सरकार रसीद देती है तब रुपया वसूल करती है, लेकिन यह अन्दाज करके पैसा ले लेंगे। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से किसका फायदा होगा। सरकार को फायदा होगा या किराया

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

लेने वालों को ? मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें नुकसान होगा। इससे कोई एक निश्चित रकम प्रदेश के खजाने में नहीं आने वाली है। उसका कोई ठिकाना नहीं है। अन्दाज से इस संशोधन को लाये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पांडेय जी, मैं आपको केवल इतना ध्यान दिलाऊंगा कि केवल दो घंटे इसके लिये हैं। तो आप स्वयं आत्म नियन्त्रण करके संक्षेप कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसमें कुछ चीजों के लिये कर की मुक्ति की गई है। धारा ४ में वैसे ही कुछ कर की मुक्ति थी। अब उससे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। राज्य के बाहर के किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत विशेष परमिट के अधीन चलने वाली यात्री गाड़ी को कर से मुक्त करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि परमिट किस लिये होगा ? इसका कोई उल्लेख नहीं होगा। आपके प्रदेश में बड़ा हल्ला है कि लोग परमिट लेकर अंड-बंड का सामान ले जाया करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहां से परमिट लेकर अगर कोई दूसरे प्रदेश को जाय, तो दूसरे प्रदेश की सरकारें क्या सहूलियत देती हैं ? इसके सम्बन्ध में हाउस में जो आपका प्रवचन हुआ उसमें कुछ नहीं था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कहीं-कहीं एक ही गाड़ी है। अगर वह खराब हो गयी तो कितनी परेशानी होती है। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में यह विधेयक भेजा जाय। एक दिन, दो दिन रखिये, लेकिन यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और वहां इसपर विचार किया जाय कि स्टेशनों की क्या हालत है, रोडवेज की क्या हालत है, कहां कहां धन का दुरुपयोग हो रहा है, किस धारा में क्या संशोधन होना चाहिये, एक सम्यक प्रकार से विचार विनिमय किया जाय। अभी आपने अगस्त में पास किया, सितम्बर में लागू हुआ, और कुछ महीने के बाद ही परेशानी महसूस हुई और संशोधन लाना पड़ा। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और इस धारा के अलावा और धाराओं में जो संशोधन करें, समुचित रूप से विधेयक में संशोधन करके सदन के सामने लायें। उससे प्रदेश का लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर जी द्वारा उपस्थित संशोधन के पक्ष में अपनी राय देने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, जब यह विधेयक इस सदन के सामने आया था तब भी यह कहा गया था कि सरकार को कुछ ऐसी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा, इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। अभी जुम्मा-जुम्मा सात दिन भी नहीं हुये कि मन्त्री जी फिर संशोधन लेकर खड़े हो गये। यह बात जब हम लोगों ने पहले कही थी उस समय गवर्नमेंट ने नहीं माना। मैं मन्त्री जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था। ऐसा लगा कि मन्त्री जी कोई बात कहना चाहते थे, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से कही नहीं। कौन सी वह दिक्कतें हैं, अगर मैं उनको अपनी बुद्धि से सामने रखूं और मन्त्री जी उस पर सहमत हो जायं तो बड़ी कृपा होगी।

मन्त्री जी ने कहा कि मोटर आपरेटर्स को इससे असुविधा होती है। लेकिन वहीं इससे यात्रियों को भी विशेष रूप से असुविधा होती है। मोटर आपरेटर्स के कर्मचारी जब हिसाब नहीं जोड़ पाते हैं तो दस नये पैसे की जगह २० नये पैसे यात्रियों से लेने में चूकते नहीं हैं और इस प्रकार अधिक वसूल कर लेने वाले कर्मचारियों या मोटर मालिकों के विरुद्ध कोई कड़ा कदम उठाया जा सके इसका कोई प्रावीजन इस विधेयक में नहीं है। एक नये पैसे की जगह अगर नुक्ते का हेरफेर उधर हो जाय या दशमलव की जगह पूर्णांक हो जाय तो उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये कहीं कोई प्राविजन नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके और ऐसी घटनायें रोजमर्रा यहां घटित होती रहती हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि यात्रियों की हैसियत देखकर, उनकी वाणी देखकर, उनकी वेशभूषा देखकर उन पर कर लगाया जाता है। कहीं कोई प्राविजन नहीं है कि जो रसीद काटते हैं मोटर आपरेटर्स के कर्मचारीगण उसमें कितना रुपया किराये का हुआ और कितना कर का हुआ, इकट्ठा ही रसीद कटेगी। अगर किसी ने कहा कि नहीं हमारा अलग-अलग काटें तो ऐसा हिसाब किताब किया जायगा कि यात्री अपनी यात्रा की समाप्ति तक भी समझ नहीं पायेगा कि सही किराया लिया गया या गलत लिया गया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज के कर्मचारियों को क्या दिक्कत है? यह हुजूरवाला जो इस सदन में इस बिल को रखे हैं, बड़े मेहरबान हैं उन कर्मचारियों पर। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन श्रीमन्, इस बात की पूरी व्यवस्था न होने के कारण, कोई निश्चित प्रोफार्मा न होने के कारण, कोई निश्चित नियम न होने के कारण उन कम पढ़े लिखे कर्मचारियों को या उन कर्मचारियों को जिनको समय नहीं मिल पाता उनका पूरा हिसाब-किताब बनाने के लिये, अगर उनसे कहीं पैसे आधे पैसे की कमी हो गई तो एक तरफ तो उसको उस कमी को पूरा करना पड़ता है और दूसरी तरफ उसको अपने मालिकों या ऊपर के अफसरों के कोप का भाजन बनना पड़ता है और उस नकली कोप को दूर करने के लिये उन को किन-किन मार्गों का अनुसरण करना पड़ता है, यह खुदा जाने। नकली वह इस तरह होता है कि ऊपर से दिखाया जाता है कि तुमने बड़ी गड़बड़ी किया और जब उसने उनको एक पैकेट सिगरेट पिला दिया या डाली लगा दी, तो उसकी सारी गड़बड़ी धुल गई। मुझे बड़ी खुशी हुई जब यह संशोधन विधेयक आया। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराकर कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि आप जरा ठंडे दिल से उन कर्मचारियों की दिक्कतों के बारे में सोचिये जिनके कि आप मालिक हैं, और उन यात्रियों की दिक्कतों के बारे में सोचिये जिनके आप कर्णधार हैं जिनके बारे में आपका दावा है कि उन्होंने आपको अधिक से अधिक वोट देकर उन कुर्सियों पर बैठाया है। मैं आपके सच्चे दोस्त की हैसियत से आपको और इन सरकारी गाड़ियों को उस गड्ढे में जाने से रोकना चाहता हूं जो जनता की निगाह में बड़ा दूषित हो चुका है। अभी पांडेय जी ने अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि आजमगढ़ तक का किराया उनको कितना देना पड़ा। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं, गोला से गोरखपुर और गोरखपुर से बड़हलगंज तक के जो मोटर आपरेटर्स हैं, मन्त्री जी उनकी जांच करायें कि वह कितना किराया वसूल करते हैं और कितना कर के नाम पर लेते हैं?

शिकायतें हुई हैं वहां से। नोटिस छप रही हैं, बट रही हैं, मीटिंग हो रही हैं। हुजूरवाला के कान पर जूं नहीं रेंगती। सरकार सोचती रहेगी। और फिर एक संशोधन अगर आया है, आपने इस बात की आवश्यकता समझी है कि यह संशोधन आये तो हुजूर वाला मेरा नम्रनिवेदन है कि आप इसको प्रवर समिति में भेजें ताकि उस पर ठंडे दिल से विचार किया जा सके। यहां जब मैं लेक्चर देने के लिये खड़ा हूंगा या इधर के दूसरे लोग खड़े होंगे तो आप कहेंगे कि यह लेक्चर दे रहे हैं, कोई विचार विमर्श नहीं होता, समय की कमी रहती है, लेकिन यह सही है कि यह आप मानें या न मानें लेक्चर देने के लिये यहां आये हैं और लेक्चर देते रहेंगे और आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे, इसलिये कि आज जनता इन टैक्सों से कराह रही है। मैं उस टैक्स की मेरिट पर नहीं जाना चाहता हूं कि वह उचित है या नहीं, लेकिन यह साबित हो चुका है कि आपने हर जगह एक बहाना बना लिया है। जितने भी आप टैक्स लगाते हैं सब के लिये आप कहते हैं कि चीनी आक्रमण है। जब यह टैक्स आया था उस समय चीनी आक्रमण का सवाल नहीं था। उस समय १५ फीसदी की इजाजत इस हाउस से ली गई थी और ५ फीसदी उस समय लागू कर दिया गया था और वादा किया गया था कि आगे अभी बढ़ाया नहीं जायगा, लेकिन अभी देर नहीं हुई कि ५ फीसदी का इजाफा हो गया वह इजाफा ऐसे ही हुआ जैसे कि पांडे जी ने बतलाया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

तीसरा निवेदन यह करूंगा कि मोटर-मालिकों को असुविधा है यह सही है, लेकिन वह असुविधा आप इस तरह से क्यों नहीं दूर करते कि एक-एक स्टेशन आप इसी तरह से उन के लिये बनायें जैसे कि रोडवेज के बने हुये हैं। जब प्राइवेट मोटर वालों के लिये स्टेशन होंगे और उनके लिये वह सारी सुविधा हो जायंगी तो आप यात्री-कर उनसे वसूल करें। उस समय शायद उनका कुछ कल्याण हो जाय, लेकिन वहां मील के हिसाब से किराया जोड़ा और घटाया जाता है। मील का किराया जोड़ और घटाने का नतीजा यही होगा कि १२ नये पैसे, १५ नये पैसे, १९ नये पैसे, और २५ नये पैसे। मैं यह कहूं कि ५० फीसदी तक यात्री-कर बढ़ाया जा सकता है। इस सदन में एक बार इसका भी चर्चा हुआ था जब यह टैक्स लगाया गया था कि अधिक किराया वसूल हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने इन बातों की ओर अपना संकेत क्यों नहीं किया? जब माननीय मन्त्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हों तो मेरा निवेदन है कि अगर हमको भ्रम है तो वह हमारे भ्रम का निवारण कर दें। अगर निवारण नहीं कर सकते हैं, अगर इन बातों की सफाई नहीं कर सकते हैं तो महज इस बात से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके हाथ ज्यादा हैं, उठवा लें और बिल को पास करा लें और जो समझें, पास करा लें, लेकिन अगर लाखों मालिकों के विचारों और उनकी बातों पर आपने समुचित ध्यान नहीं दिया तो हम चुप हो सकते हैं, वह लाखों करोड़ों मालिक, वह लाखों जज, जो यहां गैलरी में बैठे हुये हैं, जो हमारे और आपके निर्वाचन क्षेत्रों में बैठे हुये हैं, जिनको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वह हमारी और आपकी करनी और कथनी को देखते रहेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मन्त्री जी यह कहते हैं कि इस संशोधन में ज्यादा हेर-फेर नहीं है, कुछ शाब्दिक हेर-फेर है, तो शाब्दिक हेर-फेर का क्या मतलब है? अगर शाब्दिक हेर-फेर में आप "अमृत" की जगह 'विष' रख दें तो कहने को तो यह शाब्दिक हेर-फेर हुआ, लेकिन उसका अर्थ कितना बड़ा हो गया। अर्थ का अनर्थ हो गया। यह क्यों नहीं सोचा जाता? यह बहुत मासूम संशोधन है, मामूली सा है इसकी दुहाई दी जाती है। मैं पुनः इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है प्रदेश में इस टैक्सेशन के बारे में, यात्री-कर के बारे में, आप उसमें आये हुये भ्रम का निवारण कीजिये। अगर आप सफाई नहीं कर सकते हैं तो आप एक परम्परा का उल्लंघन करते हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि इधर के बैठने वाले विरोधी और उधर के शासक कहलाते हैं। लेकिन फिर यह बहस किस लिये है? यह प्रजातांत्रिक परम्परा किस लिये है? यह इसलिये है कि यदि आप हमारी बात पर निरुत्तर हो जायं और हमारी बात आपको सही मालूम हो तो आप हाथों के बल पर ही अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें, बल्कि स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये हमारी बात आप मानें।

श्री अधिष्ठाता--

आत्म-नियन्त्रण वाली बात भी है।

श्री कल्पनाथसिंह--

जी है। वह भी है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि दूसरे प्रदेश में जो मोटर्स ओनर हैं उनको दिक्कत हो रही है, उसको रफा किया जाय। क्या सुविधा आप उनको देना चाहते हैं और यहां के और वहां के मोटर ओनर्स में क्या अन्तर है, इस ओर लेशमात्र भी संकेत नहीं किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं पुनः मन्त्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि वे स्पष्ट बतलायें कि इससे राजकीय आय में और यात्रियों की सुविधा में क्या अन्तर आयेगा और क्यों उनको यह सुविधा दी जा रही है। अगर ऐसा न हो तो यह संशोधन विधेयक भ्रामक है और इसे शुद्ध करने के लिये इसे प्रवर समिति को भेजने का जो रामसुन्दर जी का प्रस्ताव है उसे सदन को स्वीकार करना चाहिये और मैं उस का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक था और मुझे ऐसा लगता है, रोज इस सदन में संशोधन विधेयकों और संशोधन वक्तव्यों को देखते हुये कि सदन के मन्त्रिगणों का काम केवल गलती करके उसको सुधारना भर ही रह गया है। इससे मैं समझता हूं कि संकटकालीन स्थिति में कुछ इजाफा ही होता है और पढ़े लिखे लोगों पर एक बुरा असर पड़ता है कि हमारे मन्त्रिगण बिलकुल निकम्मे हैं और वह अपने अफसरों के, अपने सेक्रेटरीज के हाथ के कठपुतले हैं। जिस चीज को लिख कर वे दे देते हैं उस पर संशोधन विधेयक सदन में आ जाता है। मैं इसकी कटु शब्दों में भर्त्सना करना चाहता हूं और आपके द्वारा मन्त्री जी से, जो हमारे बुर्जुग हैं, कहना चाहता हूं कि अगर आप गौर से इस मूल अधिनियम को पढ़े होते, जिसे आपने तीन, चार महीने पहले पास कराया था तो जहां तक ठेके गाड़ियों और रियायती टिकटों पर कर बढ़ने का सवाल है उसके लिये आपको उस अधिनियम में काफी अधिकार था और आप उसके अनुसार उनसे कर वसूल कर सकते थे। ठेका गाड़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। उन गाड़ियों के किराये में १०-११ प्रति सैकड़े की वसूली की जा सकती है। इसमें यह होना चाहिये कि जो लोग बिना टिकट सफर करते हैं, उनका टिकट बनना चाहिये भले ही मोटर मालिक उनसे किराया न ले। इस तरह से आपका टैक्स उनसे चार्ज हो सकता था। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में आपके द्वारा इस धारा ३ में जो संशोधन है, उस स्पष्टीकरण को पढ़ देना चाहता हूं।

"यदि यात्री-गाड़ी किसी यात्री को रियायती दर पर या बिना किराये के ले जाये, तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यात्रा के लिये सामान्य रूप से देय किराया ही ऐसे यात्री द्वारा देय किराया समझा जायेगा।"

इस तरह से कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है। मान लीजिये कि १२ मील सफर मोटर गाड़ी में मोटर मालिक के साथ बिना किराये के चल रहा हूं, लेकिन अब उस धारा में मुझे यह एक रुपया किराये का आप जाने दीजिये उसमें १० पैसे टैक्स के हम पर लागू हो जाते हैं। इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के संशोधन विधेयक बेमतलब और फिजूल ही सदन का समय नष्ट करने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आइन्दा से वे इस प्रकार के संशोधनों को न पेश किया करें। उनको किसी भी बिल को लाने से पहले गौर कर लेना चाहिये। जैसा कि माननीय कल्पनाथ-सिंह जी ने कहा कि जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि कहीं-कहीं उनको खड़ा हो जाना पड़ता है। अगर उस इलाके में कोई थाना है तो थानेदार के सामने खड़े होना पड़ता है। क्योंकि थानेदार साहब तैयार हो रहे हैं और इस तरह से आप देखें कि प्राइवेट गाड़ियों को बेमतलब खड़ा होना पड़ता है और उनका समय नष्ट होता है। इससे जनता तबाह होती है, आपके कर्मचारी उनसे नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिये यदि आप उनसे कुछ टिकट बनवाते, कुछ स्टेशन बनवाने की बात करते तो उससे कोई फायदा हो सकता था। लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि आप बिलकुल व्यर्थ के संशोधन पेश करते हैं। मैं इस आदरणीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये मजबूर कर दें कि वह इस संशोधन को वापस ले लें। बिना सोचे समझे कोई भी मंत्री संशोधन विधेयक न लावें। मैं यह देखता हूं कि हर ६ महीने के बाद इस सदन में संशोधन आया करते हैं। यह तो जनतंत्र का मखौल है और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आजकल जो विधेयक पास किये जाते हैं और उसके बाद में इतने संशोधन आते हैं, तो यह कहना ही पड़ता है कि यह जल्दबाजी और अदूरदर्शिता का परिणाम है । जिस समय विधेयक पास किया जाता है, हम लोग अपने नये सुझावों द्वारा उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं । मंत्री महोदय को और सरकार को भी ऐसा सुझाव देते हैं कि वे उसे मान लें, तो फिर इस प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता न पड़े । परन्तु देखा यह जाता है कि उस समय तो १५–२० मिनट में ही विधेयक पास हो जाता है और गौर करने का समय भी नहीं मिलता है । बहुत से हमारे महत्वपूर्ण सुझाव जो पेश किये जाते हैं अस्वीकृत कर दिये जाते हैं ।

आपको स्मरण होगा कि अंग्रेजों ने भी कानून बनाये, उनसे राज-काज चला और आज भी जिन कानूनों से हम गवर्न होते हैं उनमें अधिकतर अंग्रेज द्वारा बनाये हुये कानूनों का ही हवाला दिया जाता है । मैं यह नहीं कहता कि वह कानून अच्छे थे, क्योंकि हमारा देश गुलाम था, लेकिन वह इतने सर्वांगपूर्ण बनाये जाते थे कि उनमें बहुत कम संशोधनों की आवश्यकता पड़ा करती थी । यह ठीक है कि परिस्थिति बदल गयी है, प्रजातंत्र है, समय-समय पर विचार बदला करते हैं, परन्तु फिर भी इतना टेम्पोरेरी कोई विधेयक नहीं बनाना चाहिये कि महीने भर, दो महीने, हफ्ते भर बाद हमेशा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाय । इसलिये माननीय रामसुन्दर पांडेय की बात मान लें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जिससे निकट भविष्य में और कोई संशोधन की आवश्यकता न पड़े । क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वह संशोधन की बात ले आयेंगे । इसलिये ज्यादा अच्छा होगा कि इसके पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय ।

इस समय जब कि बेकारी की समस्या बहुत वृहत् रूप में हमारे सामने खड़ी है उस समय प्रदेश में जो स्वर्णकार बन्धु बेकार हो गये हैं, हम इस पर विचार करें कि हमारे यहां जो बस-कंडक्टर या और एम्पलाईज रखे जायं तो उसके लिये प्राथमिकता स्वर्णकारों को—जो योग्य भी हों—दी जाय, यह समय का तकाजा है ।

दूसरी बात यह है कि इतना पैसा कमाने के बाद, ५–१० प्रतिशत आमदनी करने के बाद और भी १५ प्रतिशत वाला विधेयक पास कर सकते हैं और जनता पर टैक्स लगा सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद अधिक उचित हो यदि कर्मचारियों की सुविधा पर भी विचार कर लिया जाय । हमारे यहां बस कंडक्टरों की दो कैटेगरीज हैं, ड्राइवरों की भी कैटेगरीज हैं, इनमें समानता लानी चाहिये, उनके कामों के घंटे के बारे में सोचना चाहिये । जब आप आमदनी बढ़ाते हैं तो डिपार्टमेंट और जनता की सुविधा के लिये भी कुछ करने की आवश्यकता है ।

नये रूट्स जो आप ग्रहण करते हैं वहां अपनी बसें जारी कर देते हैं । न टाइम की पाबन्दी होती है और न कर्मचारियों की सुविधा का खयाल रखा जाता है, न जनता का । मुझे मालूम है कि बरेली-शीशगढ़ रूट सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन मुझे निराशा हुई कि वहां बसों के औसतन लेट होने का समय ढाई घंटे से कम नहीं था । सरकारी यातायात विभाग के लिये यह बहुत ही लज्जास्पद है । यदि हम कोई इन्तजाम नहीं कर सकते तो अधिक बस नहीं चलानी चाहिये, एक या दो बस चलानी चाहिये ।

ऐसे ही पैसा लेने की, टैक्स की बात लादी जाती है । लेकिन जो कार्य वास्तव में किये जाने चाहिये, जैसे मुसाफिर खाने का निर्माण, बस स्टेशनों पर पानी पिलाने की सुविधा तथा अन्य कार्य आदि, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । उस पर हमें विचार करना चाहिये कि आखिर हम उनको क्या सुविधायें देने जा रहे हैं, जब इतना पैसा हम उनसे लेते हैं । गर्मी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के दिन जब आते हैं तो चुल्लूभर पानी तक बस स्टेशनों पर पीने को नहीं मिलता । कागजों में जरूर हो सकता है कि यह दर्ज हो कि उस कार्य के लिये किसी की नियुक्ति हो गयी है, परन्तु वास्तव में यह सुविधा कहीं दिखाई नहीं देती ।

एक बहुत छोटे से संशोधन की बात मैंने कही थी, बरेली बस स्टेशन को दूसरी जगह करने के लिये । वह भी नहीं किया गया । बरेली कालेज जिसमें ३–४ हजार विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं और जो बहुत बड़ा कालेज है वह उसी के निकट है और वहां से जो रास्ता जाता है वह बहुत कन्जेस्टेड रहता है । वहां पर एक बार एक दुर्घटना तक हो चुकी है । वहां के अधिकारी फिर भी यह नहीं सोचते कि उसको कहीं दूसरे स्थान पर ले जायं । उससे पैसेन्जर्स को भी सुविधा हो जायगी । तो इस प्रकार की और भी बहुत-सी बातें हैं जिन पर हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है ।

एक बात इस विभाग की एफीसिएन्सी के बारे में और मैं कहना चाहता हूं । एक उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि बरेली से भोजीपुरा तक बस सर्विस है । उसको आगे एक्सटेंड करने के लिये अटामांडा तक––एक पांच मील तक उसको और बढ़ा दिया गया । उसके लिये प्रार्थना पत्र मंजूर तो हो गया, किन्तु उसके रेट्स का डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है । वह अभी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहां काफी समय से पड़ा हुआ है । तो यह है एफीसिएन्सी इस विभाग की । अगर यह विधेयक प्रवर समिति में जाता है तो इन सब बातों पर हम वहां विचार कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय जी के इस प्रस्ताव का कि, इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, समर्थन करता हूं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)––

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय––इससे काफी समय सदन का बच जायगा ।

श्री अधिष्ठाता––

जो लक्ष्य आपका है वह पूरा हो जायगा यदि दो एक माननीय सदस्य और बोल लें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

अब तो श्रीमान्, वह पेश हो गया है, आप उस पर राय ले लीजिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रस्ताव को मूव किया जाय, इस पर मत ले लिया जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)––

श्रीमन्, आप इसी पर राय ले लें कि सदन अब बहस और चाहता है या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता––

एडवाइजरी कमेटी ने दो घंटे का समय निश्चित किया था.....

श्री यादवेन्द्रदत्त––

श्रीमन्, यह सदन तो सक्षम है उसको कम करने के लिये ।

श्री अधिष्ठाता––

मैं चाहता हूं कि अभी कम से कम एक दो सदस्य और बोल लें, जो अभी खड़े हुये थे बोलने के लिये, उसके बाद यह ले लिया जाय ।

श्री उग्रसेन––

जब बहस बन्दी का प्रस्ताव माननीय रामायणराय जी ने रख दिया तब आप उस पर वोट ले लें पहले .....

श्री अधिष्ठाता––

जब माननीय रामायण राय जी खड़े हुये तो इधर से एक दो माननीय सदस्य खड़े हुये बोलने के लिये, वे बोल लें, उसके बाद यह ले लिया जायगा ।

*श्री रामप्यारे (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह बहुत छोटा-सा संशोधन विधेयक है । कार्य करने में दो तीन कठिनाइयां सामने आयीं, उसी को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । श्रीमन्, आज हमारे देश और प्रदेश में संकटकालीन स्थिति है । ऐसे समय में अगर हमारी सरकार कोई ऐसा विधेयक लाये जिससे प्रदेश की आय में कुछ बढ़ोत्तरी हो, तो मैं नहीं समझता कि वह कोई विवाद का प्रश्न बनाया जा सकता है । आज हम एक-एक पैसे के लिये टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं । हर तरफ से बचत भी करने की कोशिश कर रहे हैं । यह कहा गया कि जल्दी-जल्दी संशोधन लाये जाते हैं । जब कोई कठिनाई कार्य को करने में सामने आती है तो उसको दूर करने के लिये संशोधन विधेयक लाये जाते हैं । हमारा तो संशोधन विधेयक भी ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज बना लें और उसमें कोई कठिनाई सामने आये तो हम उसको दूर करने की व्यवस्था न करें । हम तो प्रगतिवादी हैं और जब भी जरूरत पड़ती है, परिवर्तन लाते हैं ।

यह कहा गया कि यात्रियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछली बार यह बिल यहां आया था तो उस समय आपने उन बातों को यहां कह दिया था । इसलिये मैं चाहता हूं कि उन बातों को दोबारा न कहा जाय और अब अधिक विवाद इस पर न हो ।

माननीय सदस्य ने कहा कि बहुमत के बल पर जो चाहते हैं वह कर लेते हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि आखिर डेमोक्रेसी में और होता क्या है ? क्या उसको चलाने का कोई दूसरा और तरीका है ? क्या आप यह चाहते हैं कि थोड़े से लोगों की राय मान ली जाय ? मैं यह नहीं चाहता कि इस छोटे से विधेयक पर हाउस का अधिक समय बरबाद किया जाय । यह छोटा-सा विधेयक है और इसे पास किया जाय ।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, अब मेरा प्रस्ताव ले लिया जाय और उस पर आप सदन की राय ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि अब कोई और माननीय सदस्य खड़े भी नहीं हो रहे हैं, इसलिये अब माननीय मंत्री जी अपना भाषण दें ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं बोलना चाहता हूं . . . .

श्री रामायणराय—

आप अब राय ले लें मेरे प्रस्ताव पर, मैंने तो क्लोजर मूव किया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाने के बाद अगर सदन एक मत हो किसी बात पर तो ठीक है । वैसे अधिकार तो आपका है, लेकिन आप इस पर विचार करके प्रस्तुत करें तो ठीक है ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, सदन के कार्य को चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, आप जैसा उचित समझें । इस बदली हुई परिस्थिति में यह उचित है कि इस बिल पर और अधिक बहस न की जाय । सदन कमेटी से अधिक शक्तिशाली है । उसको अपने पूर्व निर्णय को भी बदलने का पूरा अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इस पर आपको और कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । यह तो मैंने स्वीकार ही कर लिया । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय पर सदन ने जो डिसीजन लिया वह तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन को मान्य ही है, लेकिन सदन को भी अधिकार है कि वह अपने निश्चय को बदल सकता है । अगर आप प्रश्न को उपस्थित करना उपयुक्त समझते हैं तो कर सकते हैं ।

श्री रामायणराय—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रश्न उपस्थित करता हूं कि अब इस प्रश्न पर विचार न किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय परिवहन मंत्री जी को तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

तब ठीक है, विवाद समाप्त होता है । माननीय परिवहन मंत्री अब अपना उत्तर प्रारंभ करें ।

श्री मुजफ्फर हसन—

अधिष्ठाता महोदय, जो अमेंडमेंट इस बिल को प्रवर समिति में ले जाने का लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । राम सुन्दर जी ने यह दरियाफ्त किया था कि क्या लाभ हुआ मैं उसको बताना चाहता हूं । उसकी फीगर्स इस प्रकार हैं :—

			रु०	
अक्टूबर में	..	..	२,६३,३१९	प्राइवेट गाड़ियों से करों के जरिये वसूल हुआ ।
नवम्बर में	..	..	२,२०,४४३	
दिसम्बर में	..	..	४,६८,०९६·९५	न० पै०

इसी प्रकार से रोडवेज के जरिये जो टैक्स वसूल हुआ वह है १९,२२,४३० रुपया है ।

श्री रामसुन्दर जी ने एक ऐतराज और किया था कि इस टैक्स के साथ कहीं-कहीं ज्यादा रकम बढ़ा दी गयी है । मैं हाउस को याद दिला दूं कि इस सिलसिले में हाउस में एक दफा एडजर्नमेंट मोशन आया था, उस पर मैंने यह बात साफ कर दी थी कि टैक्स की रकम में जो ५ फीसदी और बाद में जो १० फीसदी इजाफा हुआ उसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ । असल में हेरफेर की बात यह है कि हमारा जो मैक्सिमम किराया था वह बाज-बाज रूट्स पर पूरा वसूल नहीं किया जा रहा था चूंकि कई रूट्स ऐसे हैं जहां रेलवे और बस का एक तरह से मुकाबला है । रूल्स में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह कमोबेश उस दायरे के अन्दर किराया महदूद कर सकता है । यानी कुछ रूट्स पर हम पहले से महसूस करते थे कि वहां पर किराया वसूल करने की जरूरत थी, लेकिन किराये के साथ बहुत से टिकट छापने का सवाल था, किन्हीं रजिस्टर वगैरह में तब्दीली करने का सवाल था, तीसरे यह बिल भी लाने वाले थे, इसलिये यह फैसला हुआ कि तीनों तब्दीलियां एक साथ कर दी जायं । तो जहां कहीं भी किराये में इजाफा हुआ वह उस दायरे में हुआ जो हमारा मैक्सीमम किराया मुकर्रर था, और उसी पर टैक्स भी लगाया गया । इसलिये बाज बाज रूट्स पर जो किराये की मिकदार है उसमें ५ से १० फीसदी से ज्यादा भी पड़े तो उसे कोई इजाफा नहीं कहा जा सकता ।

उन्होंने यह भी कहा कि साहब ७५ फी सदी से ज्यादा ठेके की गाड़ियां हैं, उस पर अगर हम मिनिमम मुकर्रर कर देंगे तो इससे नुकसान होगा । यह बात सही नहीं है । हमने टैक्स वसूल करने के जो तीन तरीके अपने पुराने ऐक्ट में मुकर्रर किये थे उनमें से एक तरीका यह था कि लोगों से समझौता कर लिया जाय । जो समझौता हमने ७५ फीसदी से किया है वही हमने इस ठेका गाड़ियों से भी कर लिया । कुछ उन्होंने कर मुक्त करने की बात समझ ली, लेकिन यह बात सही नहीं है । जो इंटर स्टेट गाड़ियां हमारे यहां इक्के-दुक्के आ जाती हैं उनको कर से

[श्री मुजफ्फर हसन]

मुक्त नहीं किया गया है, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो पाबन्दियां थीं उनसे उनको मुक्त करने का उपाय किया जा रहा है । इसके लिये कुछ प्रोसीजरल तब्दीली की गयी है और मैं समझता हूं कि ये ऐसी तब्दीलियां हैं जिनके लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को खुशी से मंजूर करेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता जी, धारा ६ में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें यह दिया हुआ है—"प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार निर्दिष्ट शास्ति एक सौ रुपया प्रति यात्री गाड़ी से अधिक न होगी" । मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वहां इसकी सफाई हो जाय । क्योंकि पुराने ऐक्ट में दिया हुआ है अगर कोई परिचालक अपनी गाड़ी की विवरणी न प्रस्तुत करे तो एक दिन में उसे १० रुपये तक जुर्माना देना होगा । अभी जो संशोधन किया जा रहा है उसमें यह है कि एक गाड़ी के लिये यदि वह परिचालक विवरणी न प्रस्तुत करे तो उसे १०० रुपये तक जुर्माना देना होगा । यह चीज यहां साफ नहीं है। अगर कोई परिचालक दो चार दिन या महीनों तक विवरणी न प्रस्तुत कर सके और उससे १०० रुपये से ज्यादा जुर्माना न लिया जायगा तो इसका मतलब यह होगा कि सरकार को बहुत नुकसान होगा । पुराने ऐक्ट में एक दिन के लिये १० रुपया जुर्माना देने की बात थी, इस तरह से तो वही तरीका सरकार के लिये फायदे का था । इसलिये सरकार से मैं फिर निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जहां इस धारा के अलावा और अन्य धाराओं पर भी विचार किया जा सके ।

श्री मुजफ्फर हसन—

इस संबंध में जो हवाला दिया गया है कि इससे सरकार को नुकसान होगा, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी । इस पर जो टैक्स किया गया है वह तो वाजिब है ही । जो टैक्स वसूल न हो उसके लिये . . . .

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, यह स्पष्टीकरण कैसा दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

अंतिम उत्तर दे रहे हैं ।

श्री मुजफ्फर हसन—

जो टैक्स वसूल न हो उसके लिये जुर्माने की रकम लिमिट कर दी गयी है जो १०० रुपये से ज्यादा न होगी । इसमें ज्यादा सफाई की बात नहीं है । नुकसान का कोई सवाल ही नही उठता ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपनी रपट सदन के सम्मुख उपस्थित कर दे और समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ)

पक्ष में—५१,

विपक्ष में ६९ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २–१०

२––उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, १९६२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।) की धारा २ में––

धारा २ का संशोधन

(क) खंड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायं, और

(ख) खंड (ङ) में शब्द "परिचालक या ड्राइवर या कन्डक्टर या ऐसा कर्मचारी "के स्थान पर शब्द "परिचालक, ड्राइवर या कन्डक्टर या परिचालक का ऐसा कर्मचारी "रख दिये जायें।

३––मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण––१ कर दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाये :––

धारा ३ का संशोधन

"स्पष्टीकरण––२ ठेका–गाड़ी की दशा में पूरी गाड़ी के लिये देय किराये को उस गाड़ी के यात्रियों की संख्या से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त हो वही ऐसे प्रत्येक यात्री द्वारा देय किराया समझी जायेगी, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि गाड़ी के लिए देय किराया मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अनुसरण में ठेका–गाड़ियों के लिये नियत अधिकतम दरों से (यदि कोई हो) निकाले गये किराये के पचहत्तर प्रतिशत से कम हो तो उक्त पचहत्तर प्रतिशत ही गाड़ी के लिये देय किराया समझा जायेगा।"

४––मूल अधिनियम की धारा ४ के खंड (ख) में––

धारा ४ का संशोधन

(क) शब्द "धारा" तथा अंक "१४" के बीच में अंक "६" तथा कामा बढ़ा दिये जायें ; और

(ख) उपखंड (२) के अन्त में पूर्णविराम के स्थान पर सेमीकोलन तथा शब्द "या" रख दिये जायें और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड बढ़ा दिया जाये :––

"(३) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ६३ की उपधारा (६) के अधीन राज्य के बाहर के किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत विशेष अनुज्ञापत्र (परमिट) के अधीन चलने वाली यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है।"

५––मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये:––

धारा ५ का संशोधन

'प्रतिबन्ध यह भी है कि कर की दर में किसी ऐसे परिवर्तन का, जो अनुबन्ध के दिनांक के पश्चात् प्रचलित हो, प्रभाव यह होगा कि अनुबन्ध की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में, जिसमें परिवर्तित दर प्रचलित रहे, सहमत एक मुश्त धनराशि में तदनुरूप (आनुपातिक) परिवर्तन हो जायेगा।'

६––मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) में, अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये :––

धारा ६ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्दिष्ट शास्ति एक सौ रुपया प्रति यात्री गाड़ी से अधिक न होगी।"

धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में शब्द "अशुद्ध होने की दशा में" के स्थान पर शब्द "प्रथमोक्त दशा में" और शब्द "अपूर्ण होने की दशा में" के स्थान पर शब्द "उत्तरोक्त दशा में" रख दिये जायें ।

धारा २० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाये :—

"(३—क) जब उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कार्य करने वाले किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये या रखे गये किसी लेख्य का अभिग्रहण इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के साध्य के सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक प्रतीत हों, तो वह उस लेख्य का अभिग्रहण कर सकता है और जब किसी लेख्य का इस प्रकार अभिग्रहण किया जाये तो उसकी रसीद उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके कब्जे से लेख्य अभिगृहीत किया जाये ।"

धारा २२ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "प्रमाण-पत्र" और शब्द "प्राप्त किये" के बीच में शब्द "या धारा १५ में उल्लिखित रसीद" बढ़ा दिये जायें ।

धारा २९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २९ में शब्द "प्रतिबन्धात्मक खंड" के स्थान पर शब्द "प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड" रख दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ से १० तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९६२ — उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ को संशोधित करने के लिये,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) संशोधन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुजफ्फर हसन —

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमान् मंत्री जी ने जो तृतीय वाचन के अवसर पर यह कहा कि पारित किया जाय तो मैं कहता हूं अब भी उनके लिये समय है कि हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए इसको वापस ले लें। अभी उनको अधिकार है वापस ले सकते हैं। मगर मंत्री जी के सामने मृग मरीचिका है और इससे प्रदेश की जनता का कचूमर निकल रहा है। मृग मरीचिका क्या है? मंत्री जी समझते हैं अगर चकबन्दी में ९,१०, बिक्री कर में १८ संशोधन हो सकते हैं तो अभी तो उनके विधेयक में एक ही संशोधन है। मंत्री जी ने नहीं बताया कि इसमें क्या कानूनी कठिनाई थी जिससे इस विधेयक के अन्तर्गत जो वृद्धि यह करना चाहते थे वह ठेके की गाड़ियों पर नहीं कर पाते, न यह बताया कि क्या उन्होंने कानूनी सलाह ले रखी थी। जैसी तथा कथित संकटकालीन स्थित है हम तो नहीं मानते और कहते हैं समाप्त होनी चाहिये, इनको कम से कम खर्चे की बचत कराने के लिये इस विधेयक को वापस लेना चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, तीसरे खंड में नम्बर दो का स्पष्टीकरण दिया गया है। लेकिन मूल अधिनियम के पहले स्पष्टीकरण का कुछ भ्रम सा रह गया है, अतः आगे कोई कानूनी कठिनाई न पड़े उसी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

सदन के किसी माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। इसके माने हैं कि वह स्पष्ट है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(कुछ ठहर कर)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—

चेयरमैन साहब, मैं कब्ल इसके कि काम शुरू करूं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बिल मैं आज पेश कर रहा हूं उसमें राज्यपाल महोदय की अभी रिकमेंडेशन नहीं आ पाई है क्योंकि जब यह बिल राज्यपाल महोदय के पास गया तो उसी रोज वे कहीं बाहर चले गये और उनसे कांटैक्ट नहीं हो पाया है। वे अपनी उड़ीसा की स्टेट में कहीं देहात में चले गये हैं। संविधान की धारा २५५ में यह इजाजत दी हुई है कि यदि हाउस चाहे तो विधेयक पर विचार हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि हमारा काम वक्त पर हो और कल तक के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है, इसलिये यदि माननीय सदस्य इजाजत दें तो इस पर विचार करने के लिये सदन की अनुमति मांगूं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह उम्मीद है कि माननीय राज्यपाल महोदय इस पर अपनी स्वीकृति कतई-कतई प्रदान नहीं करेंगे। यह निश्चित सा लगता है। । मैं यह समझता हूं कि जिस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है यह उचित नहीं है कि इसको स्वीकृति दी जाय। इसलिये मैं इस बात पर एतराज करता हूं और यह विधेयक उपस्थित न किया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, यह बड़ा वैधानिक प्रश्न है और मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी ने यह बहुत ही अच्छा किया है कि इसके पहले कि सदन इस पर विचार करता उन्होंने इसमें स्पष्टीकरण दे दिया। हमारी नियमावली और विधान में चर्चा की गई है कि बिना राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के कोई भी ऐसा विधेयक इस सदन में पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन में इस तरह के अवैधानिक बिल को पुरःस्थापित नहीं करना चाहिये।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं और पांडेय जी ने सही फरमाया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मेम्बर साहबान को एतराज हो। मैं विरोधी दल के सदस्यों की हर बात का अहतराम करता हूं। हमारे पास समय कीमती है और घर पर आप लोग खाली ही बैठेंगे। इसलिये यदि इस पर बहस करेंगे तो मुझे फायदा ही होगा और आप लोगों के खयालात की जानकारी होगी। कानून के खिलाफ भी नहीं है। मैंने बतलाया कि संविधान की धारा २५५ के अनुसार डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम समय का सदुपयोग कर लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और यह विधेयक इतना कन्ट्रोवर्शियल है कि बिना राज्यपाल महोदय की आज्ञा के विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी नियमावली के नियम ११८ (२) में साफ लिखा हुआ है कि बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—

इस को तो मंत्री जी स्वयं ही कह रहेहैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं निवेदन करूंगा कि अगर सदन माननीय मंत्री जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुये चाहेतो भी नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो सकता है और अगर आज उल्लंघन हो गया तब फिर यह परिपाटी हो जायगी और हर वक्त मंत्रिगण बिना राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के विधेयक ले आ सकते हैं और चूंकि बहुमत उनका है, इसलिये सदन की स्वीकृति वे प्राप्त कर लेंगे। यह बिल इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता से सम्बन्धित है और उनकी इच्छाओं के विपरीत यह लाया गया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बिना राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के नहीं लाया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता —

मैंने सब लोगों के भाषण सुने और मैं आपकी राय से सहमत हूं। कांस्टीट्यूशन भी मैंने इस मामले में पढ़ा है। उसके अनुसार कोई विधेयक पास नहीं हो सकता उनकी कंसेंट के बगैर, अगर डिस्कशन हो सकता है अगर हाउस की राय हो। इस को ध्यान में रखते हुये कि यह इमर्जेंसी का समय है जनता का पैसा बहुत अमूल्य है उसे हमें जाया नहीं

करना चाहिये । अगर आधा दिन भी हम नहीं बैठते हैं तो हमारा ५ हजार रुपया वेस्ट होगा । तो उस पैसे का खयाल करके समय का सदुपयोग करना चाहिये । तो बहस हो सकती है बावजूद इस इरेंगुलेरिटी के ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इसमें, रूल्स में प्राविजन है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं । जो आप कह रहे हैं कि गलती है, लेकिन अगर आप चाहें तो बहस हो सकती है उसके लिये भी प्राविजन कांस्टीट्यूशन में है । अगर आप चाहें तो मैं उसे पढ़कर सुना दूं । आर्टिकिल २०७(३) में यह दिया हुआ है :—

"(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिपारिश न की हो ।"

"पारित न किया जायगा" इसमें शब्द हैं लेकिन "डिस्कस नहीं किया जायगा" ऐसे शब्द नहीं हैं । तो पास नहीं हो सकता, यह तो ठीक बात है, लेकिन डिस्कस नहीं कर सकते यह बात तो पैदा नहीं होती । अगर सदन चाहे तो डिस्कशन हो सकता है । २५५ एक दूसरा अनुच्छेद है "यदि संसद के अथवा पहली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम को—

(क) जहां राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने," और इस प्रकार....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, पूरा पढ़ दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

हमारे यहां के लिये यहीं तक सम्बन्धित था । खैर लीजिये, पूरा पढ़े देता हूं।

"(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने,

(ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्वमंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी ।"

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, नियम ४२ अपनी नियमावली का देख लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जब मैं बैठ जाऊं तब आप अपनी बात कहियेगा । तो यह डिस्कस हो सकता है, इनीशियेट हो सकता है बशर्ते कि हाउस चाहे । यह मैं सदैव कह रहा हूं कि पास नहीं हो सकता । ऐसी आशा की जा रही है कि कल तक कन्सेन्ट भी शायद उस पर हासिल हो जाय । इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं अपील के तौर पर हाउस से कह सकता हूं कि सदन समय का उपयोग करें और अगर सदन नहीं चाहता है तो फिर हाउस ऐडजर्न हो जायगा ।

मालमं (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल के लोग जो तय करें वह हमें मंजूर है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो हमारी प्रक्रिया नियमावली और संविधान में दिया हुआ है उसी के मुताबिक हम लोग काम करेंगे ।

हम कोई अवैधानिक कार्य करने के लिये नहीं बैठे हैं । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १४० की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें इस बात की साफ तरीके से चर्चा है कि "यदि शासन कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित करना चाहे जो संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो तो वह आवश्यक सूचना के साथ मंजूरी या सिफारिश की एक प्रति संलग्न करेगा और सूचना तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि वह आवश्यकता पूरी न हो जाय" । यह नियम १४० है राज्यपाल महोदय की सिफारिश जरूरी है । इसलिये इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता । यह वैधानिक प्रश्न है । इस लिये मैं चाहूंगा कि आज इस पर विवाद शुरू न किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपने पढ़ा वह अमेंडमेंट के बारे में है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

संशोधन विधेयक ही तो है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

११८ (२) ही काफी है ।

श्री अधिष्ठाता—

तो मैं इसका मतलब यही समझता हूं कि हाउस नहीं चाहता कि आज इस पर डिबेट हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अपोजीशन नहीं चाहता है ।

श्री अधिष्ठाता—

जब आपने कह दिया कि जैसा अपोजीशन चाहे वैसा हो तो चूंकि अपोजीशन की राय नहीं है इस लिये अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन २ बजकर २३ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
११ फरवरी, १९६३ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

इस भट्ठे को १८ सितम्बर, १९५७ को लाइसेन्स मिला। सन् १९५८–५९ से १९६१–६२ तक इस भट्ठे को ४६ वैगन कोयला दिया गया। इस कोयले से उपर्युक्त समय में कुल ५३,०८,५७५ ईंटें तैयार हुईं और इसमें से २,७२,५०० ईंटें स्कूल को दी गईं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

जिला निर्माण परिषद्, कानपुर द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्र के ईंट के भट्ठों का विवरण

अवधि	स्थान ईंट भट्ठा तथा कोयले की जो वैगनें वितरित की गईं उसका विवरण				
	१	२	३	४	५	६
	झींझक	कहिन्जरी	घाटमपुर	रूरा	रसूला बाद	
१—जनवरी से जून, १९५७	७	..	११	..	..	
२—जुलाई, १९५७ से जून, १९५८	१२	..	२५	७	..	
३—जुलाई, १९५८ से जून, १९५९	२३	..	३०	२३	..	
४—जुलाई, १९५९, से दिसम्बर, १९५९ ..	१२	..	१२	१३	..	
५—जनवरी, १९६० से दिसम्बर, १९६० ..	१८+९*	२*	२४*+६*	७	१६	
६—जनवरी, १९६१ से दिसम्बर, १९६१ ..	१०	१०	२०+२	..	१८	
७—जनवरी, १९६२ से नवम्बर, १९६२ ..	१०	१३	३८	..	३०	
जोड़	१०१	२५	१६८	५०	६४	

*स्पेयर कैपेसिटी तथा एडहाक कोटे से प्राप्त हुये ।

नत्थी 'ग'

(देखिय तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर)

सूचना

वर्ष	पिछला शेष	साल में प्राप्त हुआ	कुल	साल में कितना प्रयोग में आया	कितना शेष रहा
	टन	टन	टन	टन	टन
१९५९ ..	३३५	६२२	९५७	४६१	४९६
१९६० ..	४९६	४३७	९३३	४००	५३३
१९६१ ..	५३३	१,०५२	१,५८५	४७९	१,१०६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर)

सम्पूर्णानन्द शिविर; सितारगंज के फरवरी, १९६० से ३१ मई, १९६२ तक की अवधि की हानि लाभ की तालिका।

विवरण (व्यय)	धनराशि	योग	विवरण (आय) नकद आय	धनराशि	योग
१—भूमिकर				१,५१,९४९.५२	
२—बीज तथा पौधे—					
(अ) शिविर क्षेत्र से प्राप्त	१,३९,६१९.०४			..	..
(ब) अन्य खरीदारी से प्राप्त	५०,९९४.८०	१,९०,६१३.८४	अन्य कारागारों से किया गया भुगतान	२,०४,७१३.९९	..
३—खाद		१८,९९८.३९		..	..
४—यंत्रों के रख-रखाव		१४,३४४.१०	शिविर वासियों को क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का मूल्य	१,७१,०४६.२०	
५—सिंचाई तथा सिंचाई सम्बन्धी व्यय		१७,७५९.८६		..	..
६—मशीनों का रख-रखाव		१,५१,०६६.७३	जानवरों को क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का मूल्य	७७,०१५.८२	
७—बैलों का रख-रखाव—					
(अ) शिविर उपज	७७,०१५.८२				
(ब) खरीदारी	४५,४४२.५६	१,२२,४५८.३८	खेतों के लिये खेतों से उत्पादित वस्तु का मूल्य	१,४१,०१९.०४	..
८—कर्मचारी वर्ग पर व्यय	६६६७९.३३			..	..
९—पेन्शन योगदान	२,४००.००		विविध आय	९,०७०.६८	
१०—पारिश्रमिक	१,३५,०४१.४३			..	..
११—विविध व्यय	१,७५,४०१.२६	..		..	

१२—मूल व्यय का विभाजन—					
(अ) ट्रैक्टर द्वारा जुताई	३६,०८३.५६	..		..	..
(ब) झोपड़ियों की क्षतिपूर्ति	४,०००.००	..		..	..
(स) भूमि की क्षतिपूर्ति	१,०००.००	४१,०८३.५६			
१३—मूल व्यय का अमूल्यन—					
(अ) इमारत तार का घिराव तथा सड़क निर्माण	३,७७८.३३				
(ब) बैल तथा उससे सम्बन्धित मशीन ट्रैक्टर	४०,३७३.५५	..		..	..
(स) बैल तथा उससे सम्बन्धित जुताई मशीन	११,९५१.४५	..			
(द) तौलने की मशीन	२००.८४	..		..	..
(य) मशीन तथा उसके मुख्य पुर्जे	२,३७४.३६			..	..
(फ) विविध मूल क्रय	१,४७९.२०	६०,१५७.७३			
१४—बैलों के मरने से क्षति		४,०४८.००			७,५४,८१५.२५
		१०,००,०५२.६१			
प्रारम्भिक अवशेष के अतिरिक्त व्यय					
प्रारम्भिक अवशेष			अन्तिम अवशेष		
कुल व्यय अवशेष के साथ	१०,००,०५२.६१		(ख) शिविर के गोदाम में न बिके उत्पादन तथा इस्तेमाल न किए हुए माल का मूल्य	४,४९,०५८.७२	..
वास्तविक लाभ	२,६३,१४८.८१		(ब) खेतों में खड़ी फसल का मूल्य	५९,३२७.४५	५,०८,३८६.१७
सम्पर्ण योग	१२,६३,२०१.४२		सम्पूर्ण योग		१२,६३,२०१.४२

मध्यप्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

३ दिसम्बर, १९६२ को श्री टम्बेश्वरी प्रसाद द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न १५ तथा उसका उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार बतायेगी कि सीरीं नगरपालिका जिला एटा के विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों की तनख्वाह कितने दिनों से नहीं दी गई है ?	१६ कर्मचारियों की एक माह, ३३ कर्मचारियों की दो माह, २४ कर्मचारियों की ३ माह, १४ कर्मचारियों की चार माह, ३१ कमचारियों की ५ माह और ८१ कर्मचारियों की ६ माह की तनख्वाह नहीं दी गई है। केवल एक कर्मचारी ऐसा है जिसका कोई वेतन नगरपालिका पर बाकी नहीं है। यह अवस्था अक्तूबर तक की है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

१ अक्तूबर, १९६२ को श्री कन्हैयालाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न ३८ तथा उसका उत्तर

प्रश्न—

क्या कारागार मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, मथुरा के लिये १ अप्रैल, १९६२ से अब तक किन-किन तिथियों में कितने-कितने रुपये के खाद्य पदार्थ क्रय किये गये ? यह क्रय करने का कार्य किस अधिकारी अथवा समिति की देख-रेख में किया गया ?

उत्तर—

विवरण संलग्न है।

प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर का विवरण

क्रय की तिथि	मूल्य	अधिकारी अथवा समिति जिसकी देख-रेख में क्रय किया अथवा लाया गया।
	रु० न० पै०	
३–५–१९६२	१,६०७.६०	श्री के० के० गुप्ता असिस्टेंट जेलर की देख-रेख में लाया गया।
२९–५–१९५२	२,२२४.९०	श्री के० एन० राम, डिप्टी जेलर की देख-रेख में लाया गया।
४–६–१९६२	४,११०.४१	जेल की खाद्यान्न क्रय समिति की देख-रेख में क्रय किया गया।
१३–६–१९६२	५१५.७४	
३–७–१९६२	२,५०३.३४	
२४–७–१९६२	१,६०७.६०	
१०–८–१९६२	२,२२४.९०	श्री के० एन० राम, डिप्टी जेलर की देख-रेख में लाया गया।
२७–८–१९६२	२,००९.५०	
१९–९–१९६२	१,९७७.९८	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३१२ एल० ए०—१९६३— (प्रो०)—८५० ।